

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-266

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

आरजीजीवीवाई के अंतर्गत धनराशि  
जारी किया जाना

\*266. श्री अभिषेक बनर्जी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) बारहवीं योजना अवधि के दौरान राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को कितनी धनराशि स्वीकृत और जारी की गई;
- (ख) क्या धनराशि जारी करने में विलंब किया जा रहा है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को समय पर धनराशि उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"आरजीजीवीवाई के अंतर्गत धनराशि जारी किया जाना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 266 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की 12वीं योजना के अंतर्गत 23708.65 करोड़ रुपए की परियोजना लागत से 273 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है तथा 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार 1141.37 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी गई है। 12वीं योजना में आरजीजीवीवाई के तहत परियोजना की लागत तथा संवितरित सब्सिडी का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख) और (ग) : आरजीजीवीवाई की 12वीं योजना के अंतर्गत निधियां जारी करने में देरी का कोई दृष्टांत नहीं आया है। आरजीजीवीवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 12वीं योजना में, परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी (पीआईए) द्वारा शर्तों को पूरा किए जाने तथा विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति किए जाने और निधियों के उपयोग के पश्चात 5 किशतों में निधियाँ संवितरित की जाती हैं। इसकी पहली किशत क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्य अवाई किए जाने के बाद जारी की जाती है। जहाँ कहीं भी कार्य अवाई किए गए हैं, उन परियोजनाओं के लिए निधियां तुरंत जारी की गई हैं।

\*\*\*\*\*

अनुबंध

"आरजीजीवीवाई के अंतर्गत धनराशि जारी किया जाना" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 266 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

30.11.2014 की स्थिति के अनुसार आरजीजीवीवाई की 12वीं योजना के अंतर्गत परियोजना लागत और संवितरित सब्सिडी का ब्यौरा				
रुपए करोड़ में				
क्रम सं.	राज्य	परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत परियोजना लागत	संवितरित सब्सिडी
1	असम	16	1621.07	0.00
2	बिहार	27	5220.65	942.62
3	छत्तीसगढ़	4	286.10	0.00
4	जम्मू व कश्मीर	3	101.28	0.00
5	झारखण्ड	17	1260.93	0.00
6	कर्नाटक	9	103.85	0.00
7	मध्य प्रदेश	34	1430.87	0.00
8	मणिपुर	6	222.17	0.00
9	मिजोरम	8	77.03	0.00
10	नागालैंड	11	92.31	0.00
11	ओडिशा	31	3546.77	0.00
12	राजस्थान	28	1453.91	0.00
13	त्रिपुरा	8	316.23	0.00
14	उत्तर प्रदेश	64	7366.88	198.75
15	पश्चिम बंगाल	7	608.60	0.00
	कुल	273	23708.65	1141.37

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-276

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत की अबाधित आपूर्ति

\*276. श्री राम टहल चौधरी:

श्री भगवंत मान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सरकारी और निजी वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत की अबाधित आपूर्ति के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या इन कम्पनियों द्वारा लोड शेडिंग की घटनाओं की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी कम्पनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और
- (घ) इन कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

"विद्युत की अबाधित आपूर्ति" के बारे में लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 276 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) से (ग) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण का कार्य संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के कार्यक्षेत्र में आता है। केंद्र सरकार केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्र और पारेषण प्रणालियां स्थापित कर सभी उपभोक्ताओं को अबाधित विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है। वितरण लाइसेंसियों के निष्पादन का निरीक्षण करने का दायित्व संबंधित राज्यों के राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) का होता है। एसईआरसी ने निष्पादन मानक एवं आपूर्ति संहिता अधिसूचित की है जिनका वितरण लाइसेंसियों को पालन करना होता है। वितरण कंपनियों द्वारा लोड शेडिंग करने के विशिष्ट दृष्टांतों की रिपोर्ट एसईआरसी को दी जाती है। विनियमों, निष्पादन मानकों, आपूर्ति संहिता अथवा आयोग के निर्देश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई संबंधित एसईआरसी द्वारा की जाती है।

(घ) : उपभोक्ताओं को अबाधित विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठा रही है:

- (i) भारत सरकार ने सभी उपभोक्ताओं को चौबीसों घंटे सातों दिन विद्युत उपलब्ध करवाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्य विशिष्ट कार्य योजनाएं तैयार करने हेतु राज्यों के साथ संयुक्त पहल की है। शुरूआती तौर पर, आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार किए गए हैं और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
- (ii) उपभोक्ताओं को पर्याप्त एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति के लिए उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने और कृषि से संबंधित फीडरों को अलग करने के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम नामक दो नई स्कीमें अनुमोदित की हैं।

- (iii) 12वीं योजना अवधि के दौरान 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि लक्षित है। इसमें से 30.11.2014 तक पारंपरिक स्रोतों से लगभग 48,390 मेगावाट और 31.10.2014 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 8297 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त कर ली गई है।
- (iv) 12वीं योजना अवधि के दौरान, 1,07,440 सीकेएम पारेषण लाइनों का निर्माण तथा 2,82,740 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता का निर्माण लक्षित है। इसमें से अक्टूबर, 2014 तक 45,570 सीकेएम पारेषण लाइनों का निर्माण हो चुका है तथा 1,56,354 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता प्राप्त की जा चुकी है।
- (v) मौजूदा विद्युत केंद्रों के संयंत्र भार घटक में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य और केंद्रीय विद्युत यूटिलिटियों द्वारा कुल 29,367 मेगावाट के पुराने ताप विद्युत संयंत्रों के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) और जीवन विस्तार/उन्नयन की योजना बनाई गई है।
- (vi) ताप संयंत्रों द्वारा वर्धित उत्पादन के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता में अंतर को कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके तथा कोयले के आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
- (vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- (viii) राज्य वितरण यूटिलिटियों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय व्यवहार्यता में सहायता देने के लिए केंद्र सरकार ने एक वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।
- (ix) उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुकर बनाने हेतु पर्यावरण तथा वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2999

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी

2999. श्री कंवर सिंह तंवर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विद्युत क्षेत्र में प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने युवाओं को प्रशिक्षण देकर उत्पादन, पारेषण और वितरण विद्युत क्षेत्र में उन्हें तकनीकी कार्यों के लिए नियोजित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): 12वीं योजना के लिए विद्युत संबंधी कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट में विद्युत क्षेत्र की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 4,08,000 कुशल व्यक्तियों की अतिरिक्त आवश्यकता का अनुमान लगाया है। कार्यकारी दल ने यह भी रिपोर्ट किया है कि पर्याप्त संख्या में इंजीनियर, प्रबंधक और डिप्लोमा धारक उपलब्ध थे, तथापि आईटीआई स्तर के तकनीकी/व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से संबंधित निम्न कुशलता स्तर के संबंध में कुछ अंतर पाया गया।

(ग): सरकार ने अवसंरचना का उन्नयन करने और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए "एक आईटीआई अपनाओ" योजना की शुरुआत की है। विद्युत क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों ने अब तक 60 आईटीआई को अपनाया है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र के लिए कुशलता विकास क्रियाकलापों को नियंत्रित करने, कुशलता डाटाबेस तैयार करने, प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए क्षमता में सुधार करने और इस क्षेत्र के लिए मान्यता एवं प्रमाणीकरण के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से विद्युत क्षेत्र कुशलता परिषद की स्थापना की गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3001

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युतीकरण योजनाओं के लिए वित्तपोषण  
पद्धति का पुनर्गठन

3001. श्री कृष्ण प्रताप:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों को वित्तीय अनुदान देने के उद्देश्य के लिए अपनी विद्युतीकरण योजनाओं के वित्तपोषण की पद्धति का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उत्तर प्रदेश सहित देश को केन्द्र सरकार की चल रही विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं और इनके कार्यान्वयन में विलम्ब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) की 12वीं योजना के अंतर्गत निधियों के वितरण संबंधी दिशा-निर्देशों और लेखांकन प्रणाली के अनुसार आरजीजीवीवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के निधियाँ रूरल इलेक्ट्रिकेशन कारपोरेशन, जो कि आरजीजीवीवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है, के द्वारा कार्य के अवाई होने से प्रारंभ होने पर 30%, 20%, 20%, 20%, 10% की पांच किश्तों में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे जारी किया जाता है।

भारत सरकार ने हाल ही में, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत परियोजनाओं की स्वीकृति से प्रारंभ होने पर 10%, 20%, 60% एवं 10% की चार किश्तों में निधियां जारी की जाएंगी।

(ग) : आरजीजीवीवाई के अंतर्गत, 10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान उत्तर प्रदेश सहित देश भर में 112287 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, 371646 विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण और 2.72 करोड़

बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी करने को कवर करते हुए 648 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। संचयी रूप से दिनांक 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश सहित इस स्कीम के अंतर्गत 1,08,818 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण और 3,13,012 विद्युतीकृत गांवों का गहन विद्युतीकरण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 2.20 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। 12वीं योजना के दौरान, वित्तीय वर्ष 2013-14 के दौरान 12,468 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, 2.31 लाख विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण और 1.33 करोड़ बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी करने को कवर करते हुए 273 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है।

उत्तर प्रदेश में, 10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान 28,312 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, 22,253 विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण और 19.19 लाख बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी करने को कवर करते हुए 86 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी। संचयी रूप से, दिनांक 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार, उत्तर प्रदेश में 27,796 विद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण कार्य और 3163 विद्युतीकृत गांवों के गहन विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है तथा 10.78 लाख बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी कर दिए गए हैं। 12वीं योजना के दौरान, उत्तर प्रदेश में 868 गैर-विद्युतीकृत गांवों के विद्युतीकरण, 68,549 गांवों के गहन विद्युतीकरण और 32.64 लाख बीपीएल घरों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन जारी करने को कवर करते हुए 64 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

देश में विद्युतीकरण का कार्य सामान्यतः संतोषजनक है। तथापि, आरजीजीवीवाई की प्रगति निम्नलिखित कारणों की वजह से कुछ राज्यों में प्रभावित हुई है:

- i. कुछ राज्यों में परियोजनाओं के निष्पादन के लिए आवश्यक भूमि प्रस्तावों के लिए वन स्वीकृति में विलंब।
- ii. राज्यों द्वारा 33/11 केवी उप-केंद्रों के लिए भूमि अधिग्रहण में विलंब।
- iii. टर्नकी संविदाओं के निष्पादन के लिए उपलब्ध योग्य एजेंसियों की सीमित संख्या।
- iv. कुछ राज्यों में रोड परमिट और मार्गस्थ बिलों को जारी करने में विलंब।
- v. कुछ राज्यों में अपस्ट्रीम ग्रामीण विद्युत अवसंरचना की बहुत कमजोर स्थिति।
- vi. कुछ राज्यों द्वारा बीपीएल सूचियों को अंतिम रूप देने में विलंब।
- vii. कुछ राज्यों द्वारा सामग्रियों पर राज्य एवं स्थानीय करों को छोड़े जाने का निर्णय लेने में विलंब।
- viii. कुछ राज्यों में दुर्गम भू-भाग।
- ix. कुछ राज्यों में माओवादी हिंसा सहित कानून और व्यवस्था की समस्या।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3014

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

जलविद्युत उत्पादन के लिए जल-संसाधनों का  
उपयोग

3014. श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार द्वारा देश के जल-संसाधनों के इष्टतम उपयोग की दृष्टि से पर्याप्त संख्या में जलविद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) यदि नहीं, तो देश के जल-संसाधनों का इष्टतम उपयोग करके विद्युत उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): जी हां, दिनांक 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार, देश में 40798.75 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाले 188 जलविद्युत स्टेशन (25 मेगावाट से अधिक) प्रचालनाधीन है । प्रचालनाधीन जलविद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा अनुबंध पर संलग्न है ।

(ग): देश की विद्युत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के निरंतर विकास हेतु उठाए गए कदमों में नीतिगत पहल जैसे राष्ट्रीय विद्युत नीति, जलविद्युत नीति, राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीतियां, राष्ट्रीय प्रशुल्क नीति इत्यादि शामिल हैं । इन नीतिगत पहलों के अतिरिक्त केंद्र सरकार विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा करती है ।

\*\*\*\*\*



लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3014 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

	स्टेशन	क्षमता (मेगावाट)
	उत्तरी क्षेत्र	
	हिमाचल प्रदेश	
1	गिरी बाटा	60.00
2	बस्सी	60.00
3	संजय	120.00
4	लारजी	126.00
5	भाखड़ा-एल	540.00
6	भाखड़ा-आर	785.00
7	देहार	990.00
8	पोंग	396.00
9	बैरा सियुल	180.00
10	चमेरा-I	540.00
11	चमेरा-II	300.00
12	चमेरा-III	231.00
13	नाथपा झाकड़ी	1500.00
14	रामपुर	343.35
15	पारबती-III	520.00
16	मलाना	86.00
17	मलाना-II	100.00
18	बास्पा-II (निजी)	300.00
19	करछम वांगटू	1000.00
20	अलियन दुहागांन (निजी)	192.00
21	बुधहिल (निजी)	70.00
	कुल हिमाचल प्रदेश	8439.35
	जम्मू व कश्मीर	
1	लोअर झेलम	105.00
2	अपर सिंध-II	105.00
3	बगलिहार	450.00
4	सलल-I	345.00
5	सलल- II	345.00
6	उड़ी	480.00
7	उड़ी-II	240.00
8	दुलहस्ती	390.00
9	सेवा-II	120.00
10	निम्मो बाजगो	45.00
11	चूटक	44.00
	कुल जम्मू व कश्मीर	2669.00
	पंजाब	
1	शनन	110.00
2	मुकेरियां स्टेज-I फेज-I	45.00
3	मुकेरियां स्टेज-I फेज-II	45.00
4	मुकेरियां स्टेज-I फेज-III	58.50
5	मुकेरियां स्टेज-I फेज-IV	58.50
6	ए.पी. साहिब स्टेज-I	67.00
7	ए.पी. साहिब स्टेज-II	67.00
8	रंजीत सागर डैम	600.00

9	गंगुवाल	77.65
10	कोटला	77.65
	कुल पंजाब	1206.30
	राजस्थान	
1	आर.पी. सागर	172.00
2	जे. सागर	99.00
3	माहीबजाज-I	50.00
4	माहीबजाज-II	90.00
	कुल राजस्थान	411.00
	उत्तर प्रदेश	
1	रिहंद	300.00
2	ओबरा	99.00
3	माताटीला	30.60
4	खारा	72.00
	कुल उत्तर प्रदेश	501.60
	उत्तराखण्ड	
1	धकरानी	33.75
2	धालीपुर	51.00
3	कुलहल	30.00
4	छिन्नो	240.00
5	खोदरी	120.00
6	रामगंगा	198.00
7	चिल्ला	144.00
8	मनेरभाली (थिलोट) स्टेज-I	90.00
9	मनेरभाली स्टेज-II	304.00
10	खटीमा	41.40
11	टिहरी	1000.00
12	कोटेश्वर	400.00
13	टनकपुर	94.20
14	धौलीगंगा	280.00
15	विष्णुप्रयाग	400.00
	कुल उत्तराखण्ड	3426.35
	कुल उत्तरी क्षेत्र	16653.60
	पश्चिमी क्षेत्र	
	गुजरात	
1	उकई	300.00
2	कडाना (पीएसएस)	240.00
3	सरदार सरोवर-सीएचपीएच	250.00
4	सरदार सरोवर-आरबीपीएच	1200.00
	कुल गुजरात	1990.00
	मध्य प्रदेश	
1	गांधी सागर	115.00
2	बारगी	90.00
3	पंच	160.00
4	बन सागर टोन्स-I	315.00
5	बन सागर टोन्स-II	30.00
6	बन सागर टोन्स-III	60.00
7	राजघाट	45.00
8	मधीखेड़ा	60.00
9	इंदिरा सागर	1000.00
10	ऑंकारेश्वर	520.00
	कुल मध्य प्रदेश	2395.00
	छत्तीसगढ़	
1	हंसदियो बांगो	120.00
	कुल छत्तीसगढ़	120.00

	महाराष्ट्र	
1	कोयना I व II	600.00
2	कोयना III	320.00
3	कोयना IV	1000.00
4	कोयना डीपीएच	36.00
5	वैतर्णा	60.00
6	भीरा टेल रेस	80.00
7	तिल्लारी	60.00
8	घाटघर पीएसएस	250.00
9	भीरा	150.00
10	भिवपुरी	75.00
11	खोपोली	72.00
12	भीरा पीएसएस	150.00
13	बंधारधारा-II	34.00
	कुल महाराष्ट्र	2887.00
	कुल पश्चिमी क्षेत्र	7392.00
	दक्षिणी क्षेत्र	
	आंध्र प्रदेश	
1	मचकुंद	114.75
2	अपर सिलेरू स्टेज-I	120.00
3	अपर सिलेरू स्टेज-II	120.00
4	टी.बी. डैम	36.00
5	हम्पी	36.00
6	एन.जे. सागर आरबीसी	60.00
7	एन.जे. सागर आरबीसी एक्सटें.	30.00
8	श्रीशैलम	770.00
9	लोअर सिलेरू	460.00
	कुल आंध्र प्रदेश	1746.75
	तेलंगाना	
1	एन.जे. सागर	815.60
2	एन.जे. सागर एलबीसी	60.00
3	पोचमपड	27.00
4	श्रीशैलम एलबीपीएच	900.00
5	प्रियदर्शिनी जुराला	234.00
	कुल तेलंगाना	2036.60
	कर्नाटक	
1	शारावथी	1035.00
2	लिंगामक्की	55.00
3	भद्रा	39.20
4	कालिंदी	855.00
5	सुपा डीपीएच	100.00
6	वराही	460.00
7	घाटप्रभा	32.00
8	कद्रा	150.00
9	कोडासली	120.00
10	श्रीवथ टेल रेस	240.00
11	अलमत्ती डैम	290.00
12	जोग	139.20
13	शिवसमुद्रम	42.00
14	मुनीराबाद	28.00
	कुल कर्नाटक	3585.40
	केरल	
1	इदुक्की	780.00
2	साबरीगिरी	300.00
3	कुट्टीयाडी	125.00

4	कुडीयाडी एड. एक्सटें.	100.00
5	शोलायार	54.00
6	संगुलम	48.00
7	नारीमंगलम	70.00
8	पल्लवसल	37.50
9	पॉरिंगल कुडू	32.00
10	पन्नियर	30.00
11	इदमलायर	75.00
12	लोअर पेरियर	180.00
13	कक्कड	50.00
	कुल केरल	1881.50
	तमिलनाडु	
1	कुडहा-I	60.00
2	कुडहा-II	175.00
3	कुडहा- III	180.00
4	कुडहा- IV	100.00
5	कुडहा-V	40.00
6	पार्सन्स वैली (के.-VI )	30.00
7	मेडूर डैम	50.00
8	मेडूर टनल	200.00
9	पेरियार	140.00
10	कोडायार-I	60.00
11	कोडायार-II	40.00
12	शोलायार-I व II	95.00
13	पाईकारा	59.20
14	अलियार	60.00
15	सरकारपथी	30.00
16	पापानसम	32.00
17	मोयार	36.00
18	सुरुलियार	35.00
19	एल.मेट फेज-1	30.00
20	एल.मेट फेज-2	30.00
21	एल.मेट फेज-3	30.00
22	एल.मेट फेज-4	30.00
23	कदमपरई	400.00
24	पाईकारा अल्टीमेट	150.00
25	भवानी बैराज-I	30.00
26	भवानी बैराज-II	30.00
27	भवानी बैराज-III	30.00
	कुल तमिलनाडु	2182.20
	कुल दक्षिणी क्षेत्र	11432.45
	पूर्वी क्षेत्र	
	झारखण्ड	
1	सुबर्णरेखा-I	65.00
2	सुबर्णरेखा-II	65.00
3	पंचेट	80.00
	कुल झारखण्ड	210.00
	ओडिशा	
1	हीराकुंड-I (बुरला)	275.50
2	हीराकुंड-II (चिपलिमा)	72.00
3	बालीमेला	510.00
4	रंगाली	250.00
5	अपर कोलाब	320.00
6	अपर इंद्रावती	600.00
	कुल ओडिशा	2027.50

	पश्चिम बंगाल	
1	जलढाका-I	27.00
2	रम्माम-II	50.00
3	पुरुला पीएसएस	900.00
4	मैथॉन	63.20
5	तीस्ता लो डैम-III	132.00
	कुल पश्चिम बंगाल	1172.20
	सिक्किम	
1	रंगित-III	60.00
2	तीस्ता	510.00
3	चूजाचैन	99.00
	कुल सिक्किम	669.00
	कुल पूर्वी क्षेत्र	4078.70
	पूर्वोत्तर क्षेत्र	
	असम	
1	करबी लांगपी	100.00
2	खांडोंग	50.00
3	कोपिली	225.00
	कुल असम	375.00
	मेघालय	
1	किरदमकुलई	60.00
2	उमियम स्टेज-I	36.00
3	उमियम स्टेज-IV	60.00
4	मिंटडू स्टेज-I	126.00
	कुल मेघालय	282.00
	नागालैंड	
1	दोयांग	75.00
	कुल नागालैंड	75.00
	मणिपुर	
1	लोकटक	105.00
	कुल मणिपुर	105.00
	अरुणाचल प्रदेश	
1	रंगानदी	405.00
	कुल अरुणाचल प्रदेश	405.00
	कुल एनईआर	1242.00
	कुल अखिल भारत	40798.75

सारांश संक्षेप में

30.11.2014 स्थिति के अनुसार

	क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)
	उत्तरी	16653.60
	पश्चिमी	7392.00
	दक्षिणी	11432.45
	पूर्वी	4078.70
	पूर्वोत्तर	1242.00
	अखिल भारत (कुल)	40798.75

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3017

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

एनटीपीसी द्वारा आईटीआई खोलना

3017. श्री निशिकान्त दुबे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) का झारखण्ड सहित देश में कोई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ।

(ख) : एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रोत्साहन दिए गए 07 आई.टी.आई. का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	स्थान का नाम, जहाँ पर स्थित हैं	राज्य
01.	सल्हवास	हरियाणा
02.	सालाकाटी	असम
03.	बरकागांव	झारखंड
04.	नकटू	उत्तर प्रदेश
05.	नबीनगर	बिहार
06.	चोरभट्टी	छत्तीसगढ़
07.	बलौदा	छत्तीसगढ़

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3032

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत निधियों का निर्गम

3032. श्रीमती ज्योति धुर्वे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार फीडर संभाग योजना के लिए मध्य प्रदेश की सभी तीनों विद्युत संवितरण कंपनियों को ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज राज सहायता के रूप में राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत 1722 करोड़ रुपए निर्धारित समय अवधि से पूर्व जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत कवरेज हेतु 84.30 करोड़ रुपए के ऋण के साथ एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. की एक परियोजना और 196.53 करोड़ की ऋण राशि के साथ एमपी पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. की दो परियोजनाएं अनुमोदित की गई थीं।

(ख) : 30.09.2014 की स्थिति के अनुसार, एमपी मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. ने 60.10 करोड़ रुपए का संवितरण प्राप्त कर लिया है और एमपी पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. ने 45.72 करोड़ रुपए का संवितरण हासिल कर लिया है।

ब्याज सब्सिडी का भुगतान एटी एण्ड सी हानि में कमी, राजस्व अंतर इत्यादि जैसे पात्रता मानदंडों, जो वर्ष-दर-वर्ष आधार पर डिस्कॉमों द्वारा हासिल किए जाने हैं, के मूल्यांकन के अनुसार किया जाएगा।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3047

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

छोड़ी गई जल विद्युत परियोजनाएं

3047. एडवोकेट जोएस जॉर्ज:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक सहित देश में कतिपय जल विद्युत परियोजनाओं को रद्द करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार की विद्युत उत्पादन हेतु वैकल्पिक प्रणाली विकसित किए जाने की भावी योजना क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा (वर्ष 2002-03 से) 26,062 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 40 जलविद्युत योजनाओं को सहमति प्रदान की गई है और केरल में अथिरापल्ली जलविद्युत परियोजना (163 मेगावाट) सहित इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य अभी शुरू किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, 9,378 मेगावाट की कुल क्षमता वाली जलविद्युत योजनाओं की 19 विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की (डीपीआर) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति दिये जाने के लिए सीईए/केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी)/ भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)/ केंद्रीय मृदा प्रबंधन एवं अनुसंधान केंद्र (सीएसएमआरएस) इत्यादि में जांच की जा रही है। केरल में स्थित जल विद्युत योजना की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सीईए में जांच के अधीन नहीं है ।

(ख) : 12वीं योजना अवधि (2012-17) के दौरान 88,537 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है जिसमें जलविद्युत से 10,897 मेगावाट, ताप से 72,340 मेगावाट और नाभिकीय से 5,300 मेगावाट शामिल है। इसके अतिरिक्त 12वीं योजना के दौरान नियोजित ग्रिड इंटरैक्टिव नवीकरणीय क्षमता अभिवृद्धि 30,000 मेगावाट है ।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3049

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

विद्युत परियोजनाओं को चलाने के लिए गैस की  
आपूर्ति

3049. श्रीमती कोथापल्ली गीता:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार से संबंधित राज्यों में स्थापित गैस-आधारित संयंत्रों/परियोजनाओं के लिए पर्याप्त गैस आपूर्ति करने का अनुरोध किया है;
- (ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) गैस की आपूर्ति के लिए अपनाया गया मापदंड क्या है; और
- (घ) उक्त अवधि के दौरान देश में प्रत्येक गैस आधारित बिजली संयंत्र/परियोजना की वास्तविक मांग और आपूर्ति की गई गैस का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): जी, हाँ ।

आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल ने सरकार से उनके राज्यों में स्थापित गैस आधारित विद्युत संयंत्रों/परियोजनाओं के लिए गैस की आपूर्ति किए जाने का अनुरोध किया है।

सीईए में केंद्रीय, राज्य तथा निजी क्षेत्र में कुल लगभग 1,30,000 मेगावाट की गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए गैस के आवंटन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । उपरोक्त परियोजनाओं के लिए गैस की जरूरतों को नोट कर लिया गया था तथा सीईए में प्राप्त सभी आवेदनों की विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानदंड के अनुसार प्राथमिकता तैयार की गई है । गैस के आवंटन के लिए मापदंड की प्रति अनुबंध-1 में दी गई है ।

(घ) : पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्रत्येक गैस आधारित विद्युत संयंत्र/परियोजना के वास्तविक आवंटन और आपूर्ति की गई गैस का विवरण अनुबंध-II/1, II/2, II/3 तथा II/4 में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3049 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

12वीं पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं के लिए गैस आवंटन की संस्तुति हेतु मानदंड ।

(क) प्राथमिकता के लिए महत्व:

प्राथमिकता निर्धारित करना नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आवंटित किए जाने वाले प्वाइंट्स पर आधारित होगा:-

क्र. सं.	पैरामीटर	शर्तें पूरा करने वाली परियोजनाओं को आवंटित प्वाइंट्स
1	राज्य की ऐसी परियोजनाएं जिनके पास कोयले के संसाधन नहीं हैं तथा जो राज्य विद्युत की भारी कमी का सामना कर रहे हैं।	20
2	समुद्री तटीय अवस्थिति वाली परियोजनाएं जो मीठे पानी अथवा हवा एअर कूल्ड कंडेंशन की जगह समुद्र के पानी का प्रयोग करती हैं ।	20
3	टीओआर/पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त परियोजनाएं	10
4	वेट क्लिंग के साथ आईएसओ पर संयंत्र दक्षता (1700 किलो कैलोरी/ के डब्ल्यूएच से कम हीटिंग रेट वाले)	20
5	भूमि अधिग्रहण में प्रगति	30
(i)	25% से 50% भूमि अधिग्रहण	10
(ii)	51% से 75% भूमि अधिग्रहण	20
(iii)	76% से 100% भूमि अधिग्रहण	30
	कुल	100

(ख) गैस आवंटन का ब्यौरा-

(i) उपलब्ध घरेलू गैस का 50% प्राप्त करने के लिए सीपीएसयू/एसपीएसयू/केस-II बिडिंग परियोजनाओं/ भारत सरकार की पहल (एसईजेड और डीएमआईसीडीसी) का ब्यौरा निम्नवत है:-

सीपीएसयू/एसपीएसयू/केस-II बिडिंग परियोजनाओं के लिए- 42%

एसईजेड के लिए 4%

डीएमआईसीडीसी के लिए 4%

(ii) शेष 50% उपलब्ध घरेलू गैस के लिए ब्यौरा निम्नवत है-

आईपीपी के लिए 40%

पीकिंग/सीसीएचपी स्टेशनों के लिए 5%  
सीपीपी के लिए 5%

(ग) गैस लिंकेज के लिए परियोजनाओं की पूर्व अर्हता

(i) परियोजना की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए जल आवंटन उपलब्ध होगा तथा राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ii) प्रस्तावित परियोजना को विद्युत परियोजना स्थापित करने हेतु अपेक्षित क्षेत्र और स्थान की स्पष्ट तौर पर पहचान करनी चाहिए तथा इसे गैस पाइप लाइन के निकट होना चाहिए।

(iii) भूमि की उपलब्धता/ अधिग्रहण के महत्व को दर्शाने के लिए विकासकर्ता को जिला कलेक्टर अथवा राज्य राजस्व प्राधिकारी अथवा औद्योगिक विकास निगम जैसी राज्य सरकारी की प्राधिकृत एजेंसी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाण पत्र के सही होने की जिम्मेवारी विकासकर्ता की होगी क्योंकि सीईए के लिए भूमि अभिलेखों का सत्यापन कर पाना संभव नहीं है।

(iv) परियोजना के विकासकर्ता को एमओईएफ द्वारा जारी विचारार्थ विषय के साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट देनी होगी।

(v) कम्बांड साइकिल प्लांट के लिए न्यूनतम क्षमता 100 मेगावाट होगी। आईपीपी/पीकिंग प्लांट्स/एसईजेड प्लांट्स /डीएमआईसीडीसी, सीपीएसयू की विद्युत परियोजनाओं/ राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं तथा बिड आउट आन टैरिफ बेस्ड काम्पटीटिव बिडिंग (केस-II) परियोजनाओं के लिए । सह-उत्पादन संयंत्रों/सीसीएचपी के संबंध में यह 20 मेगावाट होगा ।

(vi) परियोजना विकासकर्ता टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली (केस-I) के माध्यम से विद्युत प्रापण के मानक बोली कागजात में पारिभाषित किए गए अनुसार वित्तीय पूर्व-अर्हताओं को पूरा करता है। इस बात को छोड़कर कि निवल मूल्य परियोजना क्षमता 0.30 करोड़ रूपए प्रति मेगावाट की दर गणना किए गए मूल्य के समान अथवा उससे अधिक होनी चाहिए । (जैसा कि गैस आधारित संयंत्र की लागत कोयला आधारित संयंत्रों का 60% है)

(घ) : गैस लिंकेज मात्रा तथा पीपीए पर हस्ताक्षर

(i) आवश्यकता की 60% की सीमा तक घरेलू गैस लिंकेज उपलब्ध कराई जाए।

(ii) शुरुआत में घरेलू गैस उपलब्ध कराने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया जाएगा ।

(iii) विकासकर्ता द्वारा आवंटित घरेलू गैस के 60% की तुलना में 85% संगत क्षमता की सीमा तक पीपीए किए जाने के बाद ही अंतिम निकासी शुरू की जा सकेगी ।

(iv) पीपीए की अवधि कम से कम 5 वर्षों की होगी क्योंकि सामान्यतया जीएसपीए 5 वर्षों के लिए तैयार की जाती है तथा यदि भविष्य में समीक्षा/नवीकरण किया जाता तो जीएसपीए के साथ सह-अवसानिक होगी ।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3049 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

अप्रैल-अक्टूबर, 2014 के लिए गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए ईंधन आपूर्ति/खपत

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता \$ (मेगावाट)	राज्य का नाम	पी/आई	90% पीएलएफ पर गैस* आवश्यकता (एमएमएससी एमडी)	आपूर्ति की गई/खपत की गई गैस (एमएमएससीएमडी)							
						अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितंबर	अक्टूबर	औसत (अप्रैल-अक्टूबर, 2014)
केंद्रीय क्षेत्र													
1	एनटीपीसी, फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	हरियाणा	पी	2.07	1.24	1.33	1.15	0.43	1.12	0.88	0.87	1.00
2	एनटीपीसी, अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान	पी	2.01	1.22	0.36	1.30	0.95	1.25	0.99	0.70	0.97
3	एनटीपीसी, औरैया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश	पी	3.18	0.82	0.78	0.99	0.86	1.35	1.06	0.92	0.97
4	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश	पी	3.98	1.40	1.28	1.28	1.18	1.81	1.35	1.13	1.35
	उप-जोड़ (एनआर)	2344.06			11.24	4.68	3.75	4.72	3.42	5.53	4.28	3.62	4.29
5	एनटीपीसी, गांधार (झनोर)	657.39	गुजरात	पी	3.16	1.42	1.86	1.86	1.15	1.36	1.25	1.53	1.49
6	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात	पी	3.15	1.31	1.48	1.22	0.73	1.19	1.14	0.27	1.05
7	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र	पी	10.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (डबल्यूआर)	3280.59			16.97	2.73	3.34	3.08	1.88	2.55	2.39	1.80	2.54
8	कथलगुड़ी (नीपको)	291	असम	आई	1.4	1.41	1.35	1.32	1.33	1.27	1.25	1.38	1.33
9	अगरतला जीटी (नीपको)	84	त्रिपुरा	आई	0.58	0.57	0.66	0.74	0.71	0.73	0.72	0.74	0.70
10	त्रिपुरा सीसीपीपी (ओएनजीसी)	363.3	त्रिपुरा	आई	1.74	1.47	0.69	1.46	1.48	0.98	1.52	1.41	1.29
	उप-जोड़ (एनईआर)	738.3			3.720	3.45	2.70	3.52	3.52	2.98	3.49	3.53	3.31
	कुल (सीएस)	6362.95			31.930	10.86	9.79	11.32	8.82	11.06	10.16	8.95	10.14
राज्य क्षेत्र													
11	आई.पी.सीसीपीपी	270	दिल्ली	पी	1.3	0.66	0.79	0.92	0.95	0.61	0.70	0.57	0.74
12	प्रगति सीसीजीटी-III	1500	दिल्ली	पी	7.19	0.05	0.31	1.11	1.21	1.63	1.37	1.74	1.06
13	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली	पी	1.59	0.90	0.78	1.00	1.43	1.39	1.43	1.38	1.19
14	धौलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान	आई	1.58	0.75	0.72	0.64	0.41	0.59	0.45	0.70	0.61
15	रामगढ़ (आरआरवीयूएनएल, जैसलमेर)	273.8	राजस्थान	आई	1.31	1.09	0.86	1.01	1.24	1.43	1.41	1.45	1.21
	उप-जोड़ (एनआर)	2704.2			12.97	3.45	3.46	4.68	5.24	5.65	5.36	5.84	4.81
16	पीपावाव सीसीपीपी	702	गुजरात	पी	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	594.72	गुजरात	पी	2.85	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
18	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.1	गुजरात	पी	0.75	0.15	0.14	0.14	0.13	0.21	0.14	0.14	0.15
19	हजीरा सीसीपीपी एकटें.	351	गुजरात	पी	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	518	गुजरात	पी	2.49	0.00	0.00	0.00	0.14	0.22	0.00	0.32	0.10



50	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश	पी	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	सिल्क रोड शुगर	35	आंध्र प्रदेश	पी	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश	पी	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
53	करूपुर सीसीपीपी (एबीएएन)	119.8	तमिलनाडु	आई	0.58	0.45	0.47	0.33	0.27	0.30	0.30	0.30	0.35
54	पी. नल्लूर सीसीपीपी (पीपीएन)	330.5	तमिलनाडु	आई	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55	वेंलेंटरवी सीसीपीपी	52.8	तमिलनाडु	आई	0.25	0.29	0.27	0.27	0.28	0.28	0.27	0.24	0.27
	उप-जोड़ (एसआर)	4021.5			19.33	3.28	3.54	2.96	0.85	0.58	0.57	0.88	1.81
56	डीएलएफ असम जीटी	24.5	असम	आई	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (एनईआर)	24.5			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (निजी आईपीपी क्षेत्र)	7999			39.32	4.82	5.14	4.50	2.36	2.62	2.09	2.63	3.45
	कुल (निजी)	8279			40.66	5.70	6.03	5.37	3.18	3.46	2.92	3.54	4.31
	सकल योग	21211.4			104.57	26.39	26.43	28.00	23.70	26.39	24.35	24.78	25.72

\$ माह के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता

\* गैस की जीसीवी-9000 कि. कैलो./एससीएम (रामगढ़ सीसीजीटी को छोड़कर जिसके लिए जीसीवी 4150 कि. कैलो./एससीएम है) लेते हुए नार्मेटिव गैस पीएलएफ आवश्यकता का 90%, ओपेन साइकिल के लिए स्टेशन हीट रेट- 2900 कि. कैलो/केडब्ल्यूएच तथा कम्बाइंड साइकिल के लिए 2000 कि.कैलो./के डब्ल्यू एच

+ आर-एलएनजी सहित

(i) प्रगति सीसीजीटी-III (जीटी) (250 मेगावाट) व स्टेज-II (250 मेगावाट) क्रमशः 07.05.2013 और 26.02.2014 को चालू की गईं।

(ii) रोखिया जीटी (21 मेगावाट) 31.08.2013 को चालू की गईं।

(iii) डीजीईएन मेगा सीसीपीपी, मॉड्यूल-1 (400 मेगावाट) और मॉड्यूल-3 (400 मेगावाट) क्रमशः 12.01.2014 और 09.03.2014 को चालू की गईं।

\*\* कुल 515 मेगावाट क्षमता की तुलना में, 300 मेगावाट विद्युत ग्रिड को आपूर्ति की जा रही है और शेष 215 मेगावाट कैप्टिव उत्पादन के तौर पर उपयोग की जाती है।

एमएमएससीएमडी - मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स

पी = पाइप लाइन द्वारा आपूर्ति, आई = अलग

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3049 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में वर्ष 2013-14 के लिए गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए ईंधन आपूर्ति/खपत की वार्षिक रिपोर्ट

क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता \$ (मेगावाट)	राज्य का नाम	पी/आई	उत्पादन (एमयू)	आबंटित गैस (एमएमएससीएमडी)					आपूर्ति की गई/खपत की गई गैस (एमएमएससीएमडी)					उपयोग किया गया वैकल्पिक ईंधन (केएल)		गैस की कम आपूर्ति के कारण सामान्य हानि (एमयू)	
						एपीएम (फर्म)	गैस एपीएम/अन्य	आरएल एनजी एलटी	केजीडी-6 (फर्म)	कुल	एपीएम (फर्म)	गैस एपीएम	केजी डी-6	आरएलएनजी		कुल	नाप्या		एचएसडी
							एसपी ओटी	एल टी											
केंद्रीय क्षेत्र																			
1	एनटीपीसी, फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	हरियाणा	पी	1731.89	1.95	0.49	0.2	0.35	2.99	0.97	0.05	0	0.00	0.00	1.02	0	0	0
2	एनटीपीसी, अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान	पी	1965.33	1.71	0.43	0.5	0.24	2.88	1.07	0.11	0	0.00	0.01	1.19	0	0	0
3	एनटीपीसी, औरिया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश	पी	1792.07	2.43	0.6	1	0.3	4.33	0.99	0.06	0	0.00	0.07	1.12	0	0	0
4	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश	पी	3399.82	2.93	0.72	0.3	0.86	4.81	1.76	0.09	0	0.00	0.07	1.92	0	0	0
	उप-जोड़ (एनआर)	2344.06			8889.11	9.02	2.24	2	1.75	15.01	4.79	0.31	0	0.00	0.15	5.25	0	0	0
5	एनटीपीसी, गांधार (झनोर)	657.39	गुजरात	पी	1322.49	0.6	0	0	0.63	1.23	0.81	0	0	0.00	0.00	0.81	0	0	0
6	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात	पी	1388.97	2.19	0.35	0	2.08	4.62	0.73	0.07	0	0.00	0.00	0.80	0	0	0
7	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र	पी	1511.28	0	0.9	0	7.6	8.5	0.77	0	0	0.00	0.00	0.77	0	0	14100.3
	उप-जोड़ (डबल्यूआर)	3280.59			4222.74	2.79	1.25	0	10.31	14.35	2.31	0.07	0	0.00	0.00	2.38	0	0	14100.3
8	कथलगुड़ी (नीपको)	291	असम	आई	1726.32	1	0.4	0	0	1.4	0.98	0.44	0	0.00	0.00	1.42	0	0	201.31
9	अगरतला जीटी (नीपको)	84	त्रिपुरा	आई	641.65	0.75	0	0	0	0.75	0.73	0	0	0.00	0.00	0.73	0	0	66.10
10	त्रिपुरा सीसीपीपी (ओएनजीसी)	363.3	त्रिपुरा	आई	612.08	0	0	0	0	0	0.34	0	0	0.00	0.00	0.34	0	0	2.677
	उप-जोड़ (एनईआर)	738.3			2980.05	1.75	0.4	0	0	2.15	2.05	0.44	0	0.00	0.00	2.49	0	0	270.09
	कुल (सीएस)	6362.95			16091.90	13.56	3.89	2	12.06	31.51	9.15	0.82	0	0.00	0.15	10.12	0	0	14370.43
राज्य क्षेत्र																			
11	आई.पी.सीसीपीपी	270	दिल्ली	पी	1040.95	0.84	0.36	0.60	0.00	1.80	0.51	0.12	0	0.00	0.10	0.73	0.00	0.00	0.00
12	प्रगति सीसीजीटी-III	1500	दिल्ली	पी	642.43	0.00	1.56	0.00	0.93	2.49	0.00	0.40	0	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
13	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली	पी	2426.35	1.75	0.30	0.20	0.00	2.25	1.09	0.02	0	0.00	0.28	1.39	0.00	0.00	0.07
14	धौलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान	आई	1953.33	0.00	1.50	0.00	0.10	1.60	0.66	0.00	0	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	1550.24

15	रामगढ़ (आरआरवीयूएनएल, जैसलमेर)	223.8	राजस्थान	आई	673.32	0.75	0.70	0.00	0.00	1.45	0.00	0.90	0	0.00	0.00	0.90	0.00	34.59	0.00
	उप-जोड़ (एनआर)	2654.2			6736.38	3.34	4.42	0.80	1.03	9.59	2.26	1.44	0	0.00	0.38	4.08	0.00	34.59	1550.31
16	पीपावाव सीसीपीपी	702	गुजरात	पी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	218.62	गुजरात	पी	204.20	0.20	0.05	0.25	0.44	0.94	0.10	0.01	0	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
18	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.1	गुजरात	पी	278.80	0.00	0.80	0.00	0.01	0.81	0.00	0.17	0	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00
19	हजीरा सीसीपीपी एक्टें.	351	गुजरात	पी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	518	गुजरात	पी	16.61	0.28	0.00	0.24	1.45	1.97	0.01	0.00	0	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
21	उरन सीसीपीपी (महाजैनको)	672	महाराष्ट्र	पी	3273.85	3.50	0.00	0.00	1.40	4.90	2.09	0.03	0	0.00	0.00	2.12	0.00	0.00	1833.85
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	2617.72			3773.46	3.98	0.85	0.49	3.30	8.62	2.20	0.21	0	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	1833.85
22	कराईकल सीसीपीपी (पीपीसीएल)	32.5	पुडुचेरी	आई	256.97	0.18	0.00	0.00	0.00	0.18	0.19	0.00	0	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	4.38
23	कोवीकलपल (तिरुमकोडई)	107	तमिलनाडु	आई	497.93	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.65	0.00	0	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	369.41
24	कुडलम (टाजेंडको)	100	तमिलनाडु	आई	641.37	0.45	0.00	0.00	0.00	0.45	0.31	0.04	0	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
25	वलुथूर सीसीपीपी (रामानंद)	186.2	तमिलनाडु	आई	1255.66	0.45	0.24	0.00	0.00	0.69	0.72	0.00	0	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (एसआर)	425.7			2651.92	1.53	0.24	0.00	0.00	1.77	1.87	0.04	0	0.00	0.00	1.91	0.00	0.00	373.79
26	लकवा जीटी (एसएसईबी, मैबेला)	157.2	असम	आई	896.18	0.40	0.55	0.00	0.00	0.95	0.81	0.00	0	0.00	0.00	0.81	0.00	0.00	226.96
27	नामरूप सीसीपीपी + एसटी (एपीजीसीएल)	119	असम	आई	526.57	0.66	0.00	0.00	0.00	0.66	0.62	0.00	0	0.00	0.00	0.62	0.00	0.00	54.26
28	बारामुरा जीटी (टीएसईसीएल)	58.5	त्रिपुरा	आई	259.21	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.19	0.12	0	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
29	रोखिया जीटी (टीएसईसीएल)	111	त्रिपुरा	आई	453.11	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.49	0.05	0	0.00	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (एनईआर)	445.7			2135.07	1.96	0.55	0.00	0.00	2.51	2.11	0.17	0	0.00	0.00	2.28	0.00	0.00	281.22
	कुल (एसएस)	6143.32			15296.82	10.81	6.06	1.29	4.33	22.49	8.44	1.86	0	0.00	0.38	10.68	0.00	34.59	4039.16
निजी क्षेत्र																			
30	वटवा सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात	पी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00
31	टॉम्बे सीसीपीपी (टीपीसी)	180	महाराष्ट्र	पी	1274.78	1.50	0.00	1.00	0.00	2.50	0.64	0.09	0	0.02	0.00	0.75	0.00	0.00	110.17
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	280			1274.78	1.50	0.00	1.00	0.37	2.87	0.64	0.09	0	0.02	0.00	0.75	0.00	0.00	986.17

निजी आईपीपी क्षेत्र																			
32	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली	पी	0.22	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
	उप-जोड़ (एनआर)	108			0.22	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
33	बड़ौदा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल)	160	गुजरात	पी	159.15	0.28	0.08	0.30	0.09	0.75	0.05	0.00	0	0.01	0.05	0.11	0.00	0.00	1207.67
34	एस्सार सीसीपीपी**	300	गुजरात	पी	47.31	0.00	0.00	0.00	1.17	1.17	0.03	0.00	0	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
35	पेगुथान सीसीपीपी (जोटीईसी)	655	गुजरात	पी	254.42	0.00	0.13	0.40	1.30	1.83	0.17	0.00	0	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	4992.10
36	सुजैन सीसीपीपी (टोरेंट)	1147.5	गुजरात	पी	2318.27	0.00	0.90	0.39	3.31	4.60	0.45	0.00	0	0.00	0.78	1.23	0.00	0.00	6286.30
37	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात	पी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	800	गुजरात	पी	0.00						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	3445			2779.15	0.28	1.11	1.09	5.87	8.35	0.70	0.00	0	0.01	0.83	1.54	0.00	0.00	12486.07
39	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश	पी	0.00	1.96	0.00	0.00	1.86	3.82	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3264.06
40	जीएमआर - काकीनाडा (तनीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश	पी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1489.20
41	गोदावरी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश	पी	1089.30	0.90	0.53	0.00	0.00	1.43	0.49	0.14	0	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00	636.80
42	जेगुरुपडु सीसीपीपी (जीवीके)	455.4	आंध्र प्रदेश	पी	993.40	2.00	0.44	0.00	1.09	3.53	0.48	0.10	0	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	2840.39
43	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश	पी	0.47	1.60	0.00	0.00	1.78	3.38	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3897.75
44	कोडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश	पी	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46	1.46	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45	कोडापल्ली सीसीपीपी (लैंको)	350	आंध्र प्रदेश	पी	1441.45	1.46	0.50	0.00	0.36	2.32	0.70	0.05	0	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	663.59
46	पेड्डापूरम (बीएसईएस)	220	आंध्र प्रदेश	पी	492.09	0.64	0.20	0.00	0.25	1.09	0.37	0.00	0	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	1316.35
47	वेमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश	पी	177.50	1.64	0.00	0.00	1.48	3.12	0.00	0.00	0	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	2669.50
48	विजेश्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश	पी	1049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	1218.92
49	श्रीबा इण्डस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश	पी	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00
50	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश	पी	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	0.00	0.11	0.11	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00
51	सिल्क रोड शुगर	35	आंध्र प्रदेश	पी	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00
52	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश	पी	उपलब्ध नहीं	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00
53	करुप्पुर सीसीपीपी (एबीएएन)	119.8	तमिलनाडु	आई	1049.91	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.68	0.00	0	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	1218.92

54	पी. नल्लूर सीसीपीपी (पीपीएन)	330.5	तमिलनाडु	आई	1251.02	0.00	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00	0.01	0	0.00	0.00	0.01	306632.43	492.00	0.00
55	वेंलेंटरवी सीसीपीपी	52.8	तमिलनाडु	आई	362.21	0.30	0.08	0.00	0.00	0.38	0.18	0.07	0	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	14.04
	उप-जोड़ (एसआर)	4021.5			7907.12	11.00	3.25	0.00	9.71	23.96	3.58	0.37	0.00	0.09	0.00	4.04	306632.43	492.00	19229.52
56	डीएलएफ असम जीटी	24.5	असम	आई	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	उप-जोड़ (एनईआर)	24.5			0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (निजी आईपीपी क्षेत्र)	7599			10686.49	11.28	4.46	1.09	15.98	32.81	4.28	0.37	0.00	0.10	0.83	5.58	306632.43	492.00	32387.59
	कुल (निजी)	7879			11961.27	12.78	4.46	2.09	16.35	35.68	4.92	0.46	0.00	0.12	0.83	6.33	306632.43	492.00	33373.76
	सकल योग	20385.3			43349.99	37.15	14.41	5.38	32.74	89.69	22.51	3.14	0.00	0.12	1.36	27.13	306632.43	526.59	51783.35

\$ माह के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता

\* गैस की जीसीवी-9000 कि. कैलो./एससीएम (रामगढ़ सीसीजीटी को छोड़कर जिसके लिए जीसीवी 4150 कि. कैलो./एससीएम है) लेते हुए नार्मेटिव गैस पीएलएफ आवश्यकता का 90%, ओपेन साइकिल के लिए स्टेशन हीट रेट- 2900 कि. कैलो/केडब्ल्यूएच तथा कम्बाइंड साइकिल के लिए 2000 कि.कैलो./के डब्ल्यू एच।

+ आर-एलएनजी सहित

(i) प्रगति सीसीजीटी-III (जीटी) (250 मेगावाट) व स्टेज-II (250 मेगावाट) क्रमशः 07.05.2013 और 26.02.2014 को चालू की गई।

(ii) रोखिया जीटी (21 मेगावाट) 31.08.2013 को चालू की गई।

(iii) डीजीईएन मेगा सीसीपीपी, मॉड्यूल-1 (400 मेगावाट) और मॉड्यूल-3 (400 मेगावाट) क्रमशः 12.01.2014 और 09.03.2014 को चालू की गई।

\*\* कुल 515 मेगावाट क्षमता की तुलना में, 300 मेगावाट विद्युत ग्रिड को आपूर्ति की जा रही है और शेष 215 मेगावाट कैप्टिव उत्पादन के तौर पर उपयोग की जाती है।

एमयू - मिलियन यूनिट, केएल - किलो लीटर,

पी = पाइप लाइन द्वारा आपूर्ति, आई = अलग

एमएमएससीएमडी - मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स

एचएसडी - हाई स्पीड डीजल

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3049 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए ईंधन आपूर्ति/खपत की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 2012-13 के लिए

क्रम सं.	विद्युत केंद्र का नाम	संस्थापित क्षमता @ (मेगावाट)	राज्य में स्थित	उत्पादन (एमयू)	90% पीएलएफ पर गैस आवश्यकता (एमएमएससीएमडी)*	आबंटित गैस (एमएमएससीएमडी)	आपूर्ति की गई/खपत की गई औसत गैस (एमएमएससीएमडी)	उपयोग किया गया वैकल्पिक ईंधन (केएल)		गैस की कम आपूर्ति के लिए सामान्य हानिय की सूचना दी (एमयू)	टिप्पणियां
								नाप्या	एचएसडी		
केंद्रीय क्षेत्र											
1	फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	हरियाणा	2402.85	2.07	2.95	1.43	0.00	0.00	0.00	
2	अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान	2176.45	2.01	3.49	1.36	380.96	0.00	0.00	
3	औरिया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश	2774.82	3.18	4.07	1.74	431.43	0.00	0.00	
4	दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश	4417.58	3.98	4.23	2.84	0.00	0.00	0.00	
	उप-जोड़ (एनआर)	2344.06		11771.7	11.24	14.74	7.37	812.39	0	0.00	
5	गांधार सीसीपीपी	657.39	गुजरात	3478.6	3.16	0.60	1.99	0	0	0.00	
6	कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात	2900.99	3.15	2.54	1.65	23.89	56.02	0.00	
7	रत्नागिरी सीसीपीपी-I	1967	महाराष्ट्र	522.18	10.66	7.60	2.78	0	0	9676.18	
	उप-जोड़ (डबल्यूआर)	3280.59		6901.77	16.97	10.74	6.42	23.89	56.02	9676.18	
8	कथलगुड़ी सीसीपीपी	291	असम	1680.33	1.4	1.40	1.38	0	0	191.69	
9	अगरतला जीटी	84	त्रिपुरा	632.73	0.58	0.75	0.72	0	0	58.27	
10	त्रिपुरा सीसीजीटी	363.3	त्रिपुरा	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	उपलब्ध नहीं	प्रचालन में नहीं
	उप-जोड़ (एनईआर)	738.3		2313.06	3.72	2.15	2.10	0.00	0.00	249.96	
	कुल (सीएस)	6362.95		20986.53	31.93	27.63	15.89	836.28	56.02	9926.14	
राज्य क्षेत्र											
11	आई.पी.सीसीपीपी	270	दिल्ली	1308.21	1.3	1.57	0.91	0	0	0.00	
12	प्रगति सीसीजीटी-III	1000	दिल्ली	1437.14	4.79	0.00	0.87	0	0	31.55	
13	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली	2508.35	1.59	2.23	1.44	0	0	0.00	
14	धौलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान	1162.69	1.58	1.60	0.77	0	0	957.90	
15	रामगढ़ सीसीपीपी	113.8	राजस्थान	497.89	2.32	1.45	0.75	0	61.35	0.00	
16	रामगढ़ सीसीपीपी एकसटं.	110	राजस्थान	0	0	0.00	0	0	0	0.00	
	उप-जोड़ (एनआर)	2154.2		6914.28	11.58	6.85	4.74	0	61.35	989.45	
17	धुवरन सीसीपीपी	218.62	गुजरात	849.8	1.05	0.89	0.47	0	0	0.00	
18	हजीरा सीसीपीपी	156.1	गुजरात	701.27	0.75	0.81	0.44	0	0	7.19	
19	हजीरा सीसीपीपी एकसटं.	351	गुजरात	4.44	1.68	0.00	0	0	0	0.00	
20	उतरन सीसीपीपी	518	गुजरात	954.77	2.49	1.97	0.55	0	0	8.67	
21	उरन सीसीपीपी	672	महाराष्ट्र	3741.07	3.23	4.70	2.43	0	0	1461.88	

	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	1915.72		6251.35	9.20	8.37	3.89	0.00	0.00	1477.74
22	कराईकल सीसीपीपी	32.5	पुडुचेरी	230.76	0.16	0.18	0.18	0	0	12.55
23	कोवीकलपल सीसीपीपी	107	तमिलनाडु	726.74	0.51	0.45	0.38	0	0	200.43
24	कुडलम सीसीपीपी	100	तमिलनाडु	55.84	0.48	0.45	0.03	0	0	536.16
25	वलुथूर सीसीपीपी	186.2	तमिलनाडु	937.31	0.89	0.69	0.55	0	0	0.00
	उप-जोड़ (एसआर)	425.7		1950.65	2.04	1.77	1.14	0	0	749.14
26	लकवा जीटी	157.2	असम	886.13	1.1	0.95	0.78	0	0	213.88
27	नामरूप सीसीपीपी + एसटी	119	असम	533.21	0.57	0.66	0.65	0	0	72.80
28	बारामुरा जीटी	58.5	त्रिपुरा	347.37	0.41	0.60	0.39	0	0	0.00
29	रोखिया जीटी	90	त्रिपुरा	416.47	0.63	0.30	0.36	0	0	0.00
	उप-जोड़ (एनईआर)	424.7		2183.18	2.71	2.51	2.18	0	0	286.68
	कुल (एसएस)	4920.32		17299.5	25.53	19.50	11.95	0	61.35	3503.01
निजी क्षेत्र										
30	वटवा सीसीपीपी	100	गुजरात	125.19	0.48	0.37	0.08	0	0	748.84
31	टॉम्बे सीसीपीपी	180	महाराष्ट्र	1596.58	0.86	2.50	0.91	0	0	13.26
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	280		1721.77	1.34	2.87	0.99	0	0	762.10
	कुल (निजी क्षेत्र)	280		1721.77	1.34	2.87	0.99	0	0	762.10
निजी आईपीपी क्षेत्र										
32	रिठाला सीसीपीपी	108	दिल्ली	138.82	0.52	0.40	0.11	0	0	562.00
	उप-जोड़ (एनआर)	108		138.82	0.52	0.40	0.11	0	0	562.00
33	बड़ौदा सीसीपीपी	160	गुजरात	377.17	0.77	0.75	0.25	0	0	881.96
34	एस्सार सीसीपीपी**	300	गुजरात	481.47	2.47	1.17	0.66	0	0	0.00
35	पेगुथान सीसीपीपी	655	गुजरात	1405.8	3.14	1.83	0.84	0	0	0.00
36	सुजैन सीसीपीपी	1147.5	गुजरात	4119.87	5.51	4.60	2.15	0	0	4399.59
37	यूनोसुजैन	382.5	गुजरात	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	2645		6384.31	13.72	8.35	3.90	0.00	0.00	5281.55
38	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश	997.36	2.23	3.82	0.54	0	0	2914.88
39	जीएमआर एनर्जी लि.- काकीनाडा	220	आंध्र प्रदेश	393.39	1.06	0.88	0.24	0	0	1093.60
40	गोदावरी सीसीपीपी	208	आंध्र प्रदेश	1032.98	1.00	1.14	0.61	2417.8	0	719.24
41	जेगुरुपडु सीसीपीपी	455.4	आंध्र प्रदेश	1689.04	2.19	3.33	0.97	1648.3	0	1717.25
42	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश	914.92	2.14	3.38	0.54	0	0	2176.14
43	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश	661.51	1.76	1.46	0.42	0	0	0.00
44	कोंडापल्ली सीसीपीपी	350	आंध्र प्रदेश	1768.38	1.68	2.21	0.98	12142	21.18	770.19
45	पेड्डापुलम सीसीपीपी	220	आंध्र प्रदेश	713.2	1.06	1.06	0.49	0	0	1157.46
46	वेमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश	960.77	1.78	3.12	0.47	0	0	1852.67
47	विजेश्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश	1168.17	1.31	0.00	0.76	0	0	1100.70
48	श्रीबा इण्डस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	0.14	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00
49	आरवीके एनर्जी	28	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	0.13	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00
50	सिल्क रोड शुगर	35	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	0.17	0.10	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00

51	एलवीएस पावर	55	आंध्र प्रदेश	उपलब्ध नहीं	0.26	0.00	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	0.00
52	करुप्पुर सीसीपीपी	119.8	तमिलनाडु	881.96	0.58	0.50	0.49	0	0	28.88
53	पी. नल्लूर सीसीपीपी	330.5	तमिलनाडु	1817.92	1.59	1.50	0.3	268361	381	0.00
54	वैलेंटरवी सीसीपीपी	52.8	तमिलनाडु	380.42	0.25	0.38	0.26	0	0	6.49
	उप-जोड़ (एसआर)	4021.5		13380	19.33	22.88	7.07	284569	402.18	13537.50
55	डीएलएफ असम जीटी	24.5	असम	0	0.12	0.1	0.04	0	0	73.88
	उप-जोड़ (एनईआर)	24.5		0	0.12	0.1	0.04	0	0	73.88
	कुल (निजी आईपीपी क्षेत्र)	7079		21624.9	35.0	34.60	12.1	284568.8	402.2	20217.03
	सकल योग	18362.27		59910.9	92.49	81.73	40.0	285405.0	519.6	33646.18

\$ मार्च, 2013 के अंतिम दिन की स्थिति के अनुसार संस्थापित क्षमता।

\* गैस की जीसीवी-9000 कि. कैलो./एससीएम (रामगढ़ सीसीजीटी को छोड़कर जिसके लिए जीसीवी 4150 कि. कैलो./एससीएम है) लेते हुए नार्मेटिव गैस पीएलएफ आवश्यकता का 90%, ओपेन साइकिल के लिए स्टेशन हीट रेट- 2900 कि. कैलो/ केडब्ल्यूएच तथा कम्बाइंड साइकिल के लिए 2000 कि.कैलो./केडब्ल्यूएच।

+ आर-एलएनजी सहित।

(i). ब्लॉक-I (382.50 मेगावाट) को 04.02.2009 को चालू किया गया, ब्लॉक-II (382.50 मेगावाट) को 07.05.2009 को चालू किया गया और ब्लॉक-III (382.50 मेगावाट) को 08.06.2009 को चालू किया गया।

(ii). गौतमी सीसीपीपी (464 मेगावाट) को दिनांक 03.05.2009 को चालू किया गया (अर्थात पूर्ण भार प्राप्त किया गया)।

(iii). कोनासीमा सीसीपीपी (जीटी-I = 140 मेगावाट, जीटी-II = 140 मेगावाट) को मई, 2009 में चालू किया गया, उत्तरन सीसीपीपी एक्सटें. (374 मेगावाट) को 10.10.2009 को चालू किया गया और कोंडापल्ली सीसीपीपी जीटी (223 मेगावाट) को 05.12.2009 को चालू किया गया।

(iv) प्रगति सीसीजीटी-III (जीटी) (250 मेगावाट) को 27.06.2012 को चालू किया गया, त्रिपुरा सीसीजीटी (363.3 मेगावाट) को 03.01.2013 को चालू किया गया, यूनोसुजैन सीसीपीपी (382.5 मेगावाट) को 20.01.2013 को चालू किया गया और रामगढ़ जीटी (110 मेगावाट) को 30.03.2013 को चालू किया गया।

\*\* कुल 515 मेगावाट क्षमता की तुलना में, 300 मेगावाट विद्युत ग्रिड को आपूर्ति की जा रही है और शेष 215 मेगावाट कैप्टिव उत्पादन के तौर पर उपयोग की जाती है।

एमयू - मिलियन यूनिट

एमएमएससीएमडी - मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन

एचएसडी - हाई स्पीड डीजल

केएल

- किलो लीटर

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3049 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

देश में गैस आधारित विद्युत स्टेशनों के लिए ईंधन आपूर्ति/खपत की वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 2011-12 के लिए

क्रम सं.	विद्युत केंद्र का नाम	संस्थापित क्षमता @ (मेगावाट)	राज्य में स्थित	उत्पादन (एमयू)	90% पीएलएफ पर गैस आवश्यकता (एमएमएससीए मडी)*	आबंटित गैस (एमएमएससीए डी)	आपूर्ति की गई/खपत की गई औसत गैस (एमएमएससीए मडी)	उपयोग किया गया वैकल्पिक ईंधन (केएल)		गैस की कम आपूर्ति के लिए सामान्य हानिय की सूचना दी (एमयू)	टिप्पणियां
								नाप्या	एचएसडी		
केंद्रीय क्षेत्र											
1	फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	हरियाणा	3067.72	2.07	1.95	1.8	72.38	15	0	
2	अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान	2694.6	2.01	1.82	1.65	883.54	0	0	
3	औरैया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश	3878.62	3.18	2.63	2.45	262.11	0	0	
4	दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश	5376.07	3.98	3.31	3.06	0	2.82	0	
	उप-जोड़ (एनआर)	2344.06		15017.01	11.24	9.71	8.96	1218.03	17.82	0	
5	गांधार सीसीपीपी	657.39	गुजरात	3684.07	3.16	3.09	2.09	0	0	2.09	
6	कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात	3638.4	3.15	2.05	2.05	277.53	100.81	0	
7	रत्नागिरी सीसीपीपी I	740	महाराष्ट्र	2950.5	3.55	2.55	1.56	0	0	714.49	
8	रत्नागिरी सीसीपीपी II	740	महाराष्ट्र	4846.46	3.55	2.55	2.56	0	0	593.33	
9	रत्नागिरी सीसीपीपी III	740	महाराष्ट्र	3822.12	3.56	2.56	2.02	0	0	1661.26	
	उप-जोड़ (डबल्यूआर)	3533.59		18941.55	16.97	12.8	10.28	277.53	100.81	2971.17	
10	कचलगुडी सीसीपीपी	291	असम	1765.17	1.4	1.4	1.38	0	0	194.02	
11	अगरतला जीटी	84	त्रिपुरा	666.12	0.58	0.75	0.75	0	0	0	
	उप-जोड़ (एनईआर)	375		2431.29	1.98	2.15	2.13	0	0	194.02	
	कुल (सीएस)	6252.65		36389.85	30.19	24.66	21.37	1495.56	118.63	3165.2	
राज्य क्षेत्र											
12	आई.पी.सीसीपीपी	270	दिल्ली	1243.72	1.3	1.37	0.89	0	19.1	0	
13	प्रगति सीसीजीटी-III	750	दिल्ली	331.38	2.4	1.07	0.29	0	0	141.14	
14	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली	2560.05	1.59	1.57	1.49	0	0	0	
15	धौलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान	2253.77	1.58	1.57	1.36	0	0	249.42	
16	रामगढ़ सीसीपीपी	113.8	राजस्थान	536.79	1.18	0.95	0.81	0	22.82	0	
	उप-जोड़ (एनआर)	1794.2		6925.71	8.05	6.53	4.84	0	41.92	390.56	
17	धुवरन सीसीपीपी	218.62	गुजरात	1008.7	1.05	0.76	0.56	0	0	0	
18	हजीरा सीसीपीपी	156.1	गुजरात	907.62	0.75	0.65	0.56	0	0	0.52	
19	उत्तरन सीसीपीपी	518	गुजरात	2987.98	2.49	1.61	1.56	0	0	21.84	

20	उरन सीसीपीपी	672	महाराष्ट्र	4668.78	3.23	4.7	3.5	0	0	224.45	मैसर्स गेल एवं मैसर्स आरआईएल से गैस का कम आबंटन
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	1564.72		9573.08	7.52	7.72	6.18	0	0	246.81	
21	कराईकल सीसीपीपी	32.5	पुडुचेरी	251.46	0.16	0.19	0.19	0	0	0	
22	कोविकालपल सीसीपीपी	107	तमिलनाडु	705.75	0.51	0.39	0.39	0	0	155.23	
23	कडलम सीसीपीपी	100	तमिलनाडु	413.29	0.48	0.22	0.22	0	0	137	मैसर्स गेल से गैस आबंटन अपर्याप्त है
24	नारीमनम सीसीपीपी	10	तमिलनाडु	0	0	0	0	0	0	0	
25	वलुथूर सीसीपीपी	186.2	तमिलनाडु	1114.56	0.89	0.65	0.65	0	0	0	
	उप-जोड़ (एसआर)	435.7		2485.06	2.04	1.45	1.45	0	0	292.23	
26	लकवा जीटी	120	असम	771.99	0.84	0.95	0.83	0	0	77.56	
27	नामरूप सीसीपीपी	95	असम	565.73	0.43	0.66	0.67	0	0	27	
28	नामरूप एसटी	24	असम	0	0.14	0	0	0	0	0	
29	बारमुरा जीटी	58.5	त्रिपुरा	357.62	0.41	0.4	0.4	0	0	0	
30	रोखिया जीटी	90	त्रिपुरा	419.1	0.63	0.5	0.5	0	0	0	
	उप-जोड़ (एनईआर)	387.5		2114.44	2.45	2.51	2.4	0	0	104.55	
	कुल (एसएस)	4182.12		21098.29	20.06	18.21	14.87	0	41.92	1034.15	
निजी क्षेत्र											
31	वटवा सीसीपीपी	100	गुजरात	459.26	0.48	0.25	0.28	0	0	403.16	
32	ट्रॉम्बे सीसीपीपी	180	महाराष्ट्र	1567.9	0.86	0.84	0.9	0	0	29	
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	280		2027.16	1.34	1.09	1.18	0	0	432.16	
	कुल (निजी क्षेत्र)	280		2027.16	1.34	1.09	1.18	0	0	432.16	
निजी आईपीपी क्षेत्र											
33	रिठाला सीसीपीपी	108	दिल्ली	241.83	0.52	0.4	0.27	0	0	141.7	
	उप-जोड़ (एनआर)	108		241.83	0.52	0.4	0.27	0	0	141.7	
34	बड़ौदा सीसीपीपी	160	गुजरात	668.74	0.77	0.36	0.42	0	0	549.77	
35	एस्सार सीसीपीपी	515	गुजरात	135.89	2.47	1.23	1.23	0	0	0	
36	पेगुथान सीसीपीपी	655	गुजरात	3067.07	3.14	1.87	1.8	0	0	0	
37	सुजैन सीसीपीपी	1147.5	गुजरात	7592.16	5.51	3.87	3.87	0	0	921.96	
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	2477.5		11463.86	11.89	7.33	7.32	0	0	1471.73	
38	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश	2898.67	2.23	1.61	1.57	0	0	960.34	
39	जीएमआर एनर्जी लि.- काकीनाडा	220	आंध्र प्रदेश	1200.03	1.06	0.67	0.67	0	0	0	
40	गोदावरी सीसीपीपी	208	आंध्र प्रदेश	1282.46	1	0.73	0.73	4165.5	0	435.39	गैस के कुओं से गैस की कमी
41	जेगुरूपडु सीसीपीपी	455.4	आंध्र प्रदेश	2833.49	2.19	2.67	1.58	0	0	860.97	एपीएस गैस एवं आरआईएल गैस की कम गैस आपूर्ति की

											अनुपलब्धता
42	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश	2266.22	2.14	1.78	1.32	0	0	488.09	
43	कोंडापल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश	2203.54	1.76	1.23	1.23	0	0	0	
44	कोंडापल्ली सीसीपीपी	350	आंध्र प्रदेश	2030.94	1.68	1.75	1.18	0	0	757.77	
45	पेड्डापुलम सीसीपीपी	220	आंध्र प्रदेश	1318.82	1.06	0.76	0.76	0	0	565.38	
46	वेमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश	2066.81	1.78	1.48	1.02	0	0	409.07	
47	करुप्पुर सीसीपीपी	119.8	तमिलनाडु	797.1	0.58	0.49	0.53	0	0	0	
48	पी. नल्लूर सीसीपीपी	330.5	तमिलनाडु	1526.19	1.59	0.37	0.37	177240.5	63	0	
49	वैलेंटरवी सीसीपीपी	52.8	तमिलनाडु	377.51	0.25	0.21	0.25	0	0	9.14	
	उप-जोड़ (एसआर)	3601.5		20801.78	17.32	13.75	11.21	181406	63	4486.15	
50	डीएलएफ असम जीटी	24.5	असम	0	0.12	0.15	0.06	0	0	124.76	
	उप-जोड़ (एनईआर)	24.5		0	0.12	0.15	0.06	0	0	124.76	
	कुल (निजी आईपीपी क्षेत्र)	6211.5		32507.47	29.85	21.63	18.86	181406	63	6224.34	
	सकल योग	16926.27		92022.77	81.42	65.59	56.28	182901.6	223.55	10855.84	
<p>@ वर्ष के अंतिम दिन के अनुसार संस्थापित क्षमता</p> <p>• गैस की जीसीवी-9000 कि. कैलो./एससीएम (रामगढ़ सीसीजीटी को छोड़कर जिसके लिए जीसीवी 4150 कि. कैलो./एससीएम है) लेते हुए नार्मेटिव गैस पीएलएफ आवश्यकता का 90%, ओपेन साइकिल के लिए स्टेशन हीट रेट- 2900 कि. कैलो/ केडब्ल्यूएच तथा कम्बाइंड साइकिल के लिए 2000 कि.कैलो./के डब्ल्यू एच और या वर्ष के अंतिम दिन के अनुसार।</p>											
एमयू	-	मिलियन यूनिट									
एमएमएससीएमडी	-	मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन						केएल		-	किलो लीटर
एचएसडी	-	हाई स्पीड डीजल									

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3057

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत संयंत्रों हेतु कोयला लिकेजों को तार्किक  
बनाना

3057. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्र सरकार ने आयातित और घरेलू कोयले की पूलिंग का निर्माण कर विद्युत संयंत्रों हेतु कोयला लिकेजों को तार्किक बनाने का निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो आयातित और घरेलू कोयले की पूलिंग को किस ढंग में निर्मित किए जाने की संभावना है और यह विभिन्न कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को किस स्तर तक मदद करेगा;
- (ग) क्या आयातित और घरेलू कोयले की पूलिंग और विद्युत संयंत्रों हेतु कोयला लिकेजों को तार्किक बनाने का विद्युत कीमत ढांचे पर कोई प्रभाव पड़ेगा; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) से (घ) : भाग (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3061

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं हेतु ईंधन की आवश्यकता

3061. श्री सदाशिव लोखंडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि अनुसार प्रत्येक विद्युत परियोजना हेतु कोयले और गैस की राज्य-वार आवश्यकता कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि अनुसार कोयले और गैस की आपूर्ति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कोयले और गैस की आपूर्ति में कोई कमी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोयले और गैस की उक्त आवश्यकता के वहन के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : कोयले और गैस की राज्यवार/संयंत्र-वार आवश्यकता अनुबंध-1 एवं II में दी गयी है।

(ख) से (घ) : पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कोयले और गैस की आपूर्ति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	कोयला (मिलियन टन)	आपूर्ति की गई औसत गैस (एमएमएससीएमडी)
2011-12	421.2	56.28
2012-13	464.6	40.00

2013-14	500.4	27.13
2014-15 (अप्रैल-अक्तूबर)	303.8	25.72
एमएमएससीएमडी : मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन		

कोयले की आपूर्ति वर्ष 2011-12 में 421.2 एमटी से बढ़कर वर्ष 2013-14 के दौरान 500.4 एमटी हो गयी है एवं वर्तमान वर्ष (अप्रैल से अक्तूबर, 2014) के दौरान यह पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 276.2 एमटी से बढ़कर 303.75 एमटी हो गयी है। गैस की औसत आपूर्ति 56.28 एमएमएससीएमडी से घटकर 25.72 एमएमएससीएमडी हो गयी है।

(ड) : कोयले और गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- i. घरेलू कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
- ii. कोयले की उपलब्धता की नियमित निगरानी सरकार में उच्च स्तर पर की जा रही है।
- iii. पावर यूटिलिटियों को घरेलू कोयले की उपलब्धता में कमी को पूरा करने के लिए कोयले का शीघ्र आयात करने की सलाह दी गई है।

भारत सरकार, देश में गैस के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने और आरएलएनजी के आयात में सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदमों को उठाकर गैस की अतिरिक्त उपलब्धता के लिए सभी प्रयास कर रही है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 3061 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2014-15 के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए राज्य-वार/संयंत्र-वार कोयला आवश्यकता

क्रम सं.	राज्य/विद्युत संयंत्र	क्षमता (मेगावाट)	कोयला आवश्यकता (हजार टन)
	दिल्ली		
1	राजघाट टीपीएस	135	651
2	बदरपुर टीपीएस	705	4141
	उप जोड़	840	4791
	हरियाणा		
3	पनीपत टीपीएस	1360	4003
4	राजीव गांधी टीपीएस	1200	4166
5	यमुना नगर टीपीएस	600	2352
6	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	1500	4266
7	महात्मा गांधी टीपीएस	1320	2389
	उपजोड़	5980	17176
	पंजाब		
8	जी एच टीपीएस( नेह मो.)	920	4128
9	रोपर टीपीएस	1260	5329
10	जीएनडी टीपीएस( भटिंडा)	440	1213
11	राजपुरा टीपीपी	1400	4170
12	तलवंडी साबो टीपीपी	660	1000
	उप जोड़	4680	15841
	राजस्थान		
13	कोटा टीपीएस	1240	6955
14	सुरतगढ़ टीपीएस	1500	6955
15	छाबड़ा टीपीपी	1000	2606
16	कालीसिंध	600	1000
17	कवाई टीपीएस	1320	5734
	उप जोड़	5660	23251
	उत्तर प्रदेश		
18	अनपारा टीपीएस	1630	8544
19	हरदुआगंज टीपीएस	665	3127
20	ओबरा टीपीएस	1278	3649
21	पनकी टीपीएस	210	1042
22	परीछा टीपीएस	1140	5342
23	दादरी (एनसीटीपीपी)	1820	9591
24	रिहंद एसटीपीएस	3000	14073
25	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	11647
26	टांडा टीपीएस	440	3127
27	जंघाहार टीपीएस	1050	6463
28	रोजा टीपीएस फेज-ब्लू	1200	5421
29	अनपरा सी टीपीएस	1200	5905
30	बारखेरा टीपीएस	90	1539
31	कुंडारकी टीपीएस	90	1539
32	खांवरखेड़ा टीपीएस	90	1539
33	मकसूदपुर टीपीएस	90	1539
34	उत्तरोला टीपीएस	90	1539
	उप जोड़	16083	85625
	छत्तीसगढ़		
35	डीएसपीएम टीपीएस	500	4729
36	कोरबा-II	440	2606
37	कोरबा वेस्ट टीपीएस	1340	7281

38	कोरबा एसटीपीएस	2600	14962
39	सिपत एसटीपीएस	2980	12510
40	पथाडी टीपीपी	600	1606
41	भिलाई टीपीएस	500	2690
42	अकलतारा टीपीएस	1200	2127
43	सलोरा	135	0
44	ओपी ज़िंदल टीपीएस	1000	5379
45	तमनार टीपीपी	1200	0
	उप-जोड़	12495	53889
	गुजरात		
46	सिक्का रेप. टीपीएस	240	688
47	गांधी नगर टीपीएस	870	2815
48	उकाई टीपीएस	1350	3640
49	वानकबारी टीपीएस	1470	6305
50	साबरमती(सी स्टेशन)	400	2177
51	मुंद्रा टीपीएस	4620	8632
52	सलाया टीपीपी	1200	3690
53	मुंद्रा यूएमटीपीपी	4000	8407
	उप जोड़	14150	36353
	मध्य प्रदेश		
54	अमरकंटक एक्स टीपीएस	450	1814
55	संजय गांधी टीपीएस	1340	6255
56	सतपुरा टीपीएस	1330	5592
57	श्री सिंगाजी टीपीपी	1200	3127
58	विंध्याचल एसटीपीएस	4260	20478
59	बीना टीपीएस	500	2089
60	सासन यूएमटीपीपी	3300	10421
	उप जोड़	12380	49776
	महाराष्ट्र		
61	भुसावल टीपीएस	1420	6776
62	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	2340	12510
63	खापड़खेड़ा टीपीएस	1340	6355
64	कोराडी टीपीएस	1040	4691
65	नासिक टीपीएस	630	5342
66	पार्ली टीपीएस	1130	4016
67	पारस टीपीएस	500	2877
68	वर्धा वरीरा टीपीएस	540	2606
69	तिरीरा टीपीएस	3300	7297
70	दहानु टीपीएस	500	2977
71	बेला टीपीएस	270	0
72	बुटीबोरी टीपीपी	600	1000
73	अमरावती टीपीएस	540	2602
74	एमको वरीरा टीपीएस	600	2602
75	मौदा टीपीएस	1000	3127
76	टॉम्बे टीपीएस	1400	3315
77	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	1200	4066
	उप जोड़	18350	72159
	आंध्र प्रदेश		
78	डॉ एन टाटा राओ टीपीएस	1760	9507
79	रायलसीमा टीपीएस	1050	5479
80	सिन्हाद्री	2000	10396
81	सिन्हापुरी टीपीएस	450	1147
82	थामिनापट्टनम टीपीएस	300	1042
	उप जोड़	5560	27571
	तेलंगाना		
83	कोथागुडेम टीपीएस	1720	10583
84	रामागुंडम बी टीपीएस	62.5	350
85	रामागुंडम एसटीपीएस	2600	13623

86	काकातीया टीपीएस	500	2752
	उप जोड़	4882.5	27309
	कर्नाटक		
87	रायचुर टीपीएस	1720	11596
88	बेल्लारी टीपीएस	1000	4316
89	उडुपी टीपीपी	1200	5212
90	तोरांगुलु टीपीएस( एसबीयू-1)	860	3090
	उप जोड़	4780	24215
	तमिलनाडु		
91	इन्नौर टीपीएस	450	2085
92	मेडूर टीपीएस	1440	8081
93	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	1830	9908
94	तूतीकोरिन टीपीएस	1050	6776
95	इण्ड बराथ	300	600
96	वल्लूर टीपीपी	1500	7293
	उप जोड़	6570	34743
	बिहार		
97	बरौनी टीपीएस	210	1042
98	मुजफ्फरपुर टीपीएस	220	1038
99	कहलगांव टीपीएस	2340	12173
100	बाढ़ II	660	3127
	उप जोड़	3430	17381
	झारखंड		
101	पतरातू टीपीएस	770	613
102	तेनुघाट टीपीएस	420	2552
103	बोकारो बी टीपीएस	630	2552
104	चंद्रपुरा (डीवीसी) टीपीएस	890	4954
105	मैथन आरबी टीपीपी	1050	4854
106	महादेव प्रसाद	540	3127
107	कोडरमा टीपीपी	1000	2320
	उप जोड़	5300	20972
	ओडिशा		
108	आईबी वैली टीपीएस	420	3127
109	तलचर (ओल्ड) टीपीएस	460	7919
110	तलचर एसटीपीएस	3000	14073
111	स्टेरलाइट टीपीपी	2400	7297
112	कमलंगा टीपीएस	1050	1414
113	देरांग टीपीपी	600	0
	उप जोड़	7930	33830
	पश्चिम बंगाल		
114	दुर्गापुर टीपीएस	340	1651
115	मेजिया टीपीएस	2340	9670
116	बकरेश्वर टीपीएस	1050	5317
117	बंडेल टीपीएस	450	1564
118	डीपीएल टीपीएस	880	1614
119	कोलाघाट टीपीएस	1260	6192
120	सागरदीघी टीपीएस	600	2802
121	संतालडीह टीपीएस	980	1851
122	बज-बज टीपीएस	750	4170
123	न्यू काशीपुर टीपीएस	160	225
124	साउदर्न रिप्लेसमेंट टीपीएस	135	763
125	टीटागढ़ टीपीएस	240	1163
126	फरक्का एसटीपीएस	2100	9434
127	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	1000	2702
	उप जोड़	12285	49119
	कुल	141356	594000

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3061 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2013-14 के लिए 01 नवंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार गैस आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए राज्य-वार/संयंत्र-वार गैस आवश्यकता				
क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	राज्य का नाम	90% पीएलएफ पर गैस आवश्यकता (एमएमएससीएमडी)*
केंद्रीय क्षेत्र				
1	एनटीपीसी, फरीदाबाद सीसीपीपी	431.59	हरियाणा	2.07
2	एनटीपीसी, अंता सीसीपीपी	419.33	राजस्थान	2.01
3	एनटीपीसी, औरया सीसीपीपी	663.36	उत्तर प्रदेश	3.18
4	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	829.78	उत्तर प्रदेश	3.98
	उप-जोड़(एनआर)	2344.06		11.24
5	एनटीपीसी, गांधार (झानोर)	657.39	गुजरात	3.16
6	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	656.2	गुजरात	3.15
7	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-दाभोल)	1967	महाराष्ट्र	10.66
	उप-जोड़ (डब्ल्यूआर)	3280.59		16.97
8	कटहलगुरी (नीपको)	291	असम	1.4
9	अगरतला जीटी (नीपको)	84	त्रिपुरा	0.58
10	त्रिपुरा सीसीपीपी (ओएनजीसी)	363.3	त्रिपुरा	1.74
	उप-जोड़ (एनईआर)	738.3		3.720
	कुल (सीएस)	6362.95		31.930
राज्य क्षेत्र				
11	आई.पी. सीसीपीपी	270	दिल्ली	1.3
12	प्रगति सीसीजीटी-III	1500	दिल्ली	7.19
13	प्रगति सीसीपीपी	330.4	दिल्ली	1.59
14	धौलपुर सीसीपीपी	330	राजस्थान	1.58
15	रामगढ़ (आरआरवीयूएनएल, जैसलमेर)	273.8	राजस्थान	1.31
	उप-जोड़(एनआर)	2704.2		12.97
16	पीपावाव सीसीपीपी	702	गुजरात	3.36
17	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	594.72	गुजरात	2.85
18	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	156.1	गुजरात	0.75
19	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	351	गुजरात	1.68
20	उतरन सीसीपीपी (जेएसईसीएल)	518	गुजरात	2.49
21	उरान सीसीपीपी (महाजंको)	672	महाराष्ट्र	3.23
	उप-जोड़(डब्ल्यूआर)	2993.82		14.36
22	करायकाल सीसीपीपी (पीपीसीएल)	32.5	पुडुचेरी	0.16
23	कोवीकलपल (तिरुमकोट्टाई)	107	तमिलनाडु	0.51
24	कुटलम (टांजेडको)	100	तमिलनाडु	0.48
25	वल्लथूर सीसीपीपी (रामानंद)	186.2	तमिलनाडु	0.89
	उप-जोड़(एसआर)	425.7		2.04
26	लाकवा जीटी (एसईबी, मैबेला)	157.2	असम	1.1
27	नामरूप सीसीजीटी + एसटी (एपीजीसीएल)	119	असम	0.57

28	बारामुरा जीटी (टीएसईसीएल)	58.5	त्रिपुरा	0.41
29	रोखिआ जीटी (टीएसईसीएल)	111	त्रिपुरा	0.53
	उप-जोड़(एनईआर)	445.7		2.61
	कुल(एसएस)	6569.42		31.98
निजी क्षेत्र				
30	वाटवा सीसीपीपी (टोरेंट)	100	गुजरात	0.48
31	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (टीपीसी)	180	महाराष्ट्र	0.86
	उप-जोड़(डब्ल्यूआर)	280		1.34
निजी आईपीपी क्षेत्र				
32	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	108	दिल्ली	0.52
	उप-जोड़(एनआर)	108		0.52
33	बरौदा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल)	160	गुजरात	0.77
34	एस्सार सीसीपीपी**	300	गुजरात	2.47
35	पेगुथान सीसीपीपी (जीटीईसी)	655	गुजरात	3.14
36	सुजैन सीसीपीपी (टोरेंट)	1147.5	गुजरात	5.51
37	यूनोसुजैन सीसीपीपी	382.5	गुजरात	1.83
38	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	1200	गुजरात	5.75
	उप-जोड़(डब्ल्यूआर)	3845		19.47
39	गौतमी सीसीपीपी	464	आंध्र प्रदेश	2.23
40	जीएमआर - काकीनाडा (तानीरवावी)	220	आंध्र प्रदेश	1.06
41	गोदावरी सीसीपीपी (स्पेक्ट्रम)	208	आंध्र प्रदेश	1.00
42	जेगुरुपडू सीसीपीपी (जीवीके)	455.4	आंध्र प्रदेश	2.19
43	कोनासीमा सीसीपीपी	445	आंध्र प्रदेश	2.14
44	कोडांपल्ली एक्सटें. सीसीपीपी	366	आंध्र प्रदेश	1.76
45	कोडांपल्ली सीसीपीपी (लेंको)	350	आंध्र प्रदेश	1.68
46	पेड्डा पुरम (बीएसईएस)	220	आंध्र प्रदेश	1.06
47	वीमागिरी सीसीपीपी	370	आंध्र प्रदेश	1.78
48	विजेश्वरन सीसीपीपी	272	आंध्र प्रदेश	1.31
49	श्रीबा इंडस्ट्रीज	30	आंध्र प्रदेश	0.14
50	आर वी के इनर्जी	28	आंध्र प्रदेश	0.13
51	सिल्क रोड सुगर	35	आंध्र प्रदेश	0.17
52	एल वी एस पावर	55	आंध्र प्रदेश	0.26
53	करुपपुर सीसीपीपी (एबीएएन)	119.8	तमिलनाडु	0.58
54	पी. नालूर सीसीपीपी (पीपीएन)	330.5	तमिलनाडु	1.59
55	वेलंटरवी सीसीपीपी	52.8	तमिलनाडु	0.25
	उप-जोड़(एसआर)	4021.5		19.33
56	डीएलएफ असम जीटी	24.5	असम	0.12
	उप-जोड़(एनईआर)	24.5		0.00
	कुल(निजी आईपीपी एस)	7999		39.32
	कुल (निजी)	8279		40.66
	सकल योग	21211.37		104.57

\* 90% पीएलएफ पर नियमन गैस आवश्यकता गैस की जीसीवी = 9000 के.काल/एससीएम (एमएमएससीएम को छोड़कर - मिलियन मीट्रिक क्यूबिक मीटर प्रति दिन)

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3085

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है ।

अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं

3085. श्री कौशलेन्द्र कुमार:

श्री निशिकान्त दुबे:

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उन कंपनियों और उन स्थानों के क्या नाम हैं जिन्हें ये परियोजनाएं सौंपी गई हैं;

(ग) क्या कतिपय कंपनियों ने यूएमपीपी को वापस सौंप दिया है और यदि हां, तो क्या उन्होंने उसी दिन यूएमपीपी के साथ आबंटित कोयला ब्लॉकों को भी वापस सौंप दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने कोयला पिटहैडों और तटीय स्थानों दोनों पर प्रत्येक 4000 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास को सुगम बनाने के लिए वित्तीय वर्ष 2005-06 में एक अद्वितीय पहल शुरू की थी। पिटहैड परियोजनाओं की परिकल्पना देशी कोयले के उपयोग के लिए की गई है जबकि तटीय परियोजनाएं आयात किए गए कोयले का उपयोग करने के लिए की गई हैं। इस पहल का लक्ष्य पैमाने की किफायत हासिल करके उपभोक्ताओं को प्रतियोगी लागत पर विद्युत की सुपुदगी करना है। केंद्र सरकार ने तदनुसार सुपर क्रिटिकल प्रोद्योगिकी का प्रयोग करते हुए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली मार्ग के तहत यूएमपीपी के विकास को सुकर बनाने के लिए पहल की है।

यूएमपीपी के तहत, परियोजनाएं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 63 के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित विकासकर्ता को अवार्ड की जाती हैं।

(ख) : अब तक 4 यूएमपीपी अर्थात् मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुन्द्रा, आन्ध्र प्रदेश में कृष्णापटनम और झारखण्ड में तिलैया सफल बोली दाताओं को अवार्ड की जा चुकी हैं। अवार्ड किए गए यूएमपीपी का परियोजनावार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	यूएमपीपी का नाम	स्थान	ईंधन स्रोत	स्थिति
1	सासन यूएमपीपी (6x660 मे.वा.)	सासन जिला सिंगरौली. मध्य प्रदेश	पिटहैड	परियोजना अवार्ड की गई तथा 07.08.2007को मैसर्स रिलायंस पावर लि. को अंतरित की गई। परियोजना निर्माण के अग्रिम चरण में है । चालू होने का निर्धारित कार्यक्रम निम्नानुसार है: यूनिट-I 31.03.2013* यूनिट-II 28.01.2014 यूनिट-III 12.04.2014 यूनिट-IV 27.05.2014 यूनिट-V 24.08.2014# यूनिट- VI जनवरी 2015 में संभावित  * एपटेल के विचाराधीन । # यूनिट- V की समक्रमण तिथि 24.08.2014 है ।
2	मुन्द्रा यूएमपीपी (5x800 मे.वा.)	मुन्द्रा, टुंडवांड ग्राम जिला कच्छ, गुजरात	तटीय	परियोजना अवार्ड की गई तथा 24.04.2007 को मैसर्स तारा पावर लि. को अंतरित की गई। 800 मेगावाट (प्रत्येक) की पाँच यूनिट निम्नानुसार वाणिज्यिक प्रचालन शुरू कर चुकी हैं: यूनिट-I 7 मार्च, 2012 यूनिट-II 30 जुलाई, 2012 यूनिट-III 27 अक्टूबर, 2012 यूनिट-IV 21 जनवरी, 2013 यूनिट-V 22 मार्च, 2013
3	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मे.वा.)	कृष्णापटनम, जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश	तटीय तटीय	परियोजना 2.33 रुपये/ केडब्ल्यूएच के लेवलीकृत प्रशुल्क पर 29.01.2008 को रिलायन्स पावर लिमिटेड को सौंप दी गई थी। विकासकर्ता ने इन्डोनेशिया में कोयला मूल्य के नए विनियम का उदाहरण देते हुए स्थल पर कार्य रोक दिया है । मुख्य प्राप्तकर्ता अर्थात आन्ध्र प्रदेश साऊदर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी (एपीएमपीडीसी) ने कोस्टल आन्ध्र पावर लिमिटेड (सीएपीएल) को समाप्ति नोटिस जारी किया है। यह मामला दिल्ली उच्च नयायालय की खण्डपीठ में विचाराधीन है।
4	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मे.वा.)	झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा जिलों में तिलैया गाँव के समीप	पिटहैड	परियोजना अवार्ड की गई तथा 7 अगस्त, 2009 को मैसर्स रिलायंस पावर लि. को अंतरित की। संयंत्र का निर्माणकार्य, झारखण्ड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि न सौंपे जाने के कारण रुक गया है।

(ग) से (ड.) : किसी भी कंपनी ने अवार्ड किए गए यूएमपीपी से अपना नाम वापस नहीं लिया है। और उन्होंने यूएमपीपी के साथ आवंटित किया गया कोई कोयला ब्लॉक वापस नहीं किया है ।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3087

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

3087. डॉ. संजय जायसवाल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं और बारहवीं योजना अवधि के दौरान देश में विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी रही;

(ख) क्या विद्युत पारेषण उक्त विद्युत उत्पादन क्षमता के अनुसार नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ग्यारहवीं योजना अवधि के अंत (दिनांक 31/3/2012 की स्थिति के अनुसार) तक देश में विद्युत उत्पादन क्षमता 1,99,877 मेगावाट थी और बारहवीं योजना अवधि के दौरान यह 2,55,012 मेगावाट (30.11.2014 की स्थिति के अनुसार) है।

(ख) से (घ) : विद्युत पारेषण में वृद्धि सामान्यतया विद्युत उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि के अनुसार ही रही है।

220 केवी और इससे ऊपर के वोल्टेज स्तर की पारेषण लाइनों की कुल लम्बाई 10वीं योजना के अंत में 1,98,407 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) से 11वीं योजना के अंत में 2,57,481 सीकेएम और अक्टूबर 2014 के अंत तक 3,03,051 सीकेएम तक बढ़ गई है। इसी प्रकार ट्रांसफार्मेशन क्षमता 10वीं योजना के अंत में 2,57,439 मेगावोल्ट एम्पीयर (एमवीए) से 11वीं योजना के अंत तक 4,09,551 एमवीए और अक्टूबर 2014 के अंत तक 5,65,905 एमवीए तक बढ़ गई है।

12वीं योजना के दौरान, 1,07,440 सीकेएम पारेषण लाइन और 2,82,750 एमवीए की ट्रांसफार्मेशन क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3091

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं का विस्तार

3091. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र सहित देश में विद्युत परियोजनाओं के विस्तार को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो इस विस्तार योजना सहित इन विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी प्रत्येक परियोजना के लिए प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन परियोजनाओं से उत्पादित होने वाली अतिरिक्त विद्युत की प्रमात्रा कितनी है और संबंधित राज्यों की विद्युत मांग को इससे किस हद तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या उक्त प्रस्ताव हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात् ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की तकनीकी आर्थिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए ताप विद्युत परियोजना के विस्तार का कोई प्रस्ताव सीईए में प्राप्त नहीं हुआ है। जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में भी परियोजना के विस्तार का कोई प्रस्ताव सीईए में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (च) : प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3103

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

अल्ट्रा मेगा पावर परियोजना के अंतर्गत भूमि  
अधिग्रहण

3103. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सहित देश में कुछ अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाएं (यूएमपीपी) भूमि अधिग्रहण में निरंतर समस्याओं का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : मूल रूप से परिकल्पित नौ (9) यूएमपीपी में से चार (4) यूएमपीपी नामतः मध्य प्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम और झारखंड में तिलैया को प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकासकर्ताओं को अवार्ड एवं हस्तांतरित किये जा चुके हैं। अवार्ड किए गए चार (4) यूएमपीपी में से मुंद्रा यूएमपीपी (गुजरात में 4000 मेगावाट) ने विद्युत उत्पादन करना आरंभ कर दिया है। एमपी में सासन यूएमपीपी निर्माण के अग्रिम चरण में है और प्रत्येक 660 मेगावाट की 6 इकाइयों में से चार इकाइयां चालू की जा चुकी है और एक इकाई सिंक्रोनाइज्ड की गई है। कृष्णापट्टनम यूएमपीपी के मामले में लगभग सत्तानवे प्रतिशत (97%) भूमि आवश्यकता का अधिग्रहण किया गया है। तिलैया यूएमपीपी (6X660 मेगावाट) में भूमि अधिग्रहण करने संबंधी मुद्दे हैं।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3120

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

ऊर्जा कुशलता

3120. श्री एंटो एन्टोनी:

डॉ. शशि थरूर:

श्री एस. पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा कुशलता बढ़ाने के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;
- (ख) देश में विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऊर्जा कुशलता उपायों के माध्यम से तेल की बचत और तेल उपकरण ऊर्जा संबंधी ऊर्जा संरक्षण निर्माण संहिता, 2007 के प्रभाव क्या हैं; और
- (ग) देश में ऊर्जा कुशलता को और बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं और उक्त संहिता के प्रावधनों के अनुपालन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन (एनएमईईईई) के अंतर्गत, 144 ताप विद्युत केंद्रों (कोयला/ लिग्नाइट, गैस एवं डीजल सहित) के लिए ऊर्जा दक्षता संवर्द्धन के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एनएमईईईई के अंतर्गत, प्रत्येक विद्युत केंद्र को अपनी निवल ताप पर अर्थात् निवल विद्युत उत्पादन की प्रति यूनिट में प्रयोग की गई ऊर्जा (किलोकैलोरी प्रति किलोवाट घंटा) को कम करने के लिए अधिदेशित किया गया है जिससे 3.21 मिलियन टन ऑयल (एमटीओई) के समतुल्य बचत होगी। आगे, इस दिशा में विभिन्न विद्युत संयंत्रों और राज्य यूटिलिटीयों को ऊर्जा दक्षता सुधार अवसरों को चिन्हित करने में सहायता करने के लिए परफॉर्मंस ऑप्टिमाइजेशन डायग्नोसिस सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराए गए हैं।

(ख) : प्रत्येक योजना के अंत में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्वतंत्र एजेंसी द्वारा प्रभाव आकलन अध्ययन कराता है जिसके आधार पर बचत को रिकार्ड किया जाता है। 11वीं योजना अवार्ड के दौरान, प्रभाव आकलन रिपोर्ट में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी) के कारण 564 मेगावाट की बचाई गई क्षमता का आकलन किया गया है

जो कि 0.237 मिलियन मीट्रिक टन तेल के समतुल्य ऊर्जा (एमओटीई) के बराबर है। चालू योजना अवधि की अनुमानित बचत 12वीं योजना के अंत तक उपलब्ध होगी।

(ग) : विद्युत मंत्रालय तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) ने देश में ऊर्जा दक्षता को और ज्यादा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं जिनमें उक्त संहिता के प्रावधानों की अनुपालना शामिल है।

- (i) 19 उपकरणों के लिए ऊर्जा दक्षता लेबलिंग।
- (ii) यात्री कारों के लिए विनिर्दिष्ट ईंधन दक्षता मानक।
- (iii) वाणिज्यिक भवनों में ऊर्जा दक्षता सुधार के लिए तैयार की गई ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीबीसी)।
- (iv) नगरपालिका, घरों, कृषि और लघु एवं मध्यम उपक्रम (एसएमई) क्षेत्रों में मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) पर प्रदर्शन परियोजनाएं।
- (v) निर्दिष्ट उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित ऊर्जा गहन उद्योगों के लिए विनिर्दिष्ट विशिष्ट ऊर्जा खपत मानक।
- (vi) ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य निर्दिष्ट एजेंसियों तथा वितरण कंपनियों का क्षमता निर्माण।
- (vii) ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में विशेष उद्देश्य वाली संयुक्त उद्यम कंपनी, एनर्जी एफिसिएंसी सर्विस लिमिटेड (ईईएसएल) के माध्यम से निष्पादन से जुड़े पुनः भुगतान व्यवसाय माडल निवेश के लिए सक्षम बनाना।

केंद्र सरकार द्वारा ईसीबीसी को तैयार किया गया है और इसका प्रवर्तन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के द्वारा अपने अधिकार-क्षेत्र के भीतर अधिसूचना के द्वारा किया जाना होता है। निम्नलिखित राज्यों में ईसीबीसी संशोधन किए गए हैं एवं अपनाया गया है:

क्र.सं.	अद्यतन स्थिति	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम
1	जिन राज्यों में ईसीबीसी अधिसूचित किया है।	राजस्थान, ओडिशा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, पंजाब, कर्नाटक एवं पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र

निर्मित वातावरण में ईसीबीसी के अपनाए जाने को बढ़ावा देने के लिए अनेक सक्षम उपाय किए गए हैं। इनमें (1) ईसीबीसी विशेषज्ञ वास्तुकारों को सूची में शामिल करना, (2) तकनीकी संदर्भ सामग्री, जैसे कि ईसीबीसी प्रयोग निदेशिका एवं टिप शीट्स तैयार करना, (3) वास्तुकारों/डिजाइन व्यावसायियों की सहायता के लिए पुष्टि/अनुपालना जांच उपकरण और संहिता अपेक्षानुसार पुष्टि के आकलन के लिए संहिता अनुपालनाकर्मी तैयार करना, (4) संहिता के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए मानक ईसीबीसी प्रशिक्षण मॉड्यूल्स, (5) ईसीबीसी को राष्ट्रीय भवन संहिता के साथ सुमेलित करना तथा (6) मॉडल भवन उप-नियम तैयार करना, जो आवासीय तथा वाणिज्यिक भवनों/काम्पलेक्स के लिए न्यूनतम ऊर्जा मानक अधिदेशित करते हों, शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, ईसीबीसी व्यवसायकों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लिए संस्थागत संरचना वाली एक स्कीम तैयार की गई है ताकि मास्टर प्रशिक्षकों का पूल तैयार किया जा सके। बीईई सक्रिय राज्यों को वास्तुकार/डिजाइन व्यवसायकों तथा राज्य सरकार राज्य की आवश्यकता के आधार पर यूएलबी संहिता अनुपालनाकार्मिकों की क्षमता निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

बीईई कई सरकारी/निजी परियोजनाओं को ईसीबीसी की अनुपालना वाले प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3129

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

निजी कम्पनियों को आबंटित विद्युत  
परियोजनाओं का निर्माण कार्य

3129. श्री कपिल मोरेश्वर पाटील:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में महाराष्ट्र सहित बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निजी कम्पनियों को आबंटित की गई विद्युत परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उक्त विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, कोई भी उत्पादक कंपनी यदि ग्रिड के साथ संबद्धता से संबंधित तकनीकी मानकों का अनुपालन करती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादक स्टेशन स्थापित, प्रचालित एवं अनुरक्षित कर सकती है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र सहित देश में निजी कंपनियों द्वारा विकसित विद्युत परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा, विलंब के कारण, चालू किए जाने का कार्यक्रम अनुबंध में है।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3129 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

निजी क्षेत्र में 12वीं योजना के दौरान चालू की गई थर्मल परियोजनाएं

क्षेत्र राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की वास्तविक तिथि
आंध्र प्रदेश	सिम्हापुरी एनर्जी प्रा. लि. फेज-I	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि.	यू-2	150	2/7/2012
आंध्र प्रदेश	थम्मिनापट्टनम टीपीपी-I	मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.	यू-1	150	9/9/2012
			यू-2	150	17/04/2013
छत्तीसगढ़	अकलतारा (नैयारा) टीपीपी	केएसके महानदी पावर कंपनी लि.	यू-1 (तीसरी)	600	13/08/2013
			यू-2 (चौथी)	600	22/8/2014
छत्तीसगढ़	अवंथा भंडार टीपीपी	कोरबा वेस्ट पावर कं. लि.	यू-1	600	31/3/2014
छत्तीसगढ़	बारादरहा टीपीपी	डी.बी. पावर लि.	यू-1	600	23/2/2014
छत्तीसगढ़	कसाईपल्ली टीपीपी	एसीबी इंडिया लि.	यू-2	135	21/6/2012
छत्तीसगढ़	रतीजा टीपीपी	स्पेक्ट्रम कोल एंड पावर लि.	यू-1	50	4/2/2013
छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	मैसर्स वंदना विद्युत	यू-1	135	10/4/2014
छत्तीसगढ़	तमनार टीपीपी (रायगढ़)	ओ.पी. जिंदल	यू-1	600	10/3/2014
			यू-2	600	30/3/2014
गुजरात	मुंद्रा यूएमटीपीपी	टाटा पावर कं.	यू-2	800	25/7/2012
गुजरात	सलाया टीपीपी	एस्सार पावर गुजरात लि.	यू-2	600	13/6/2012
हरियाणा	झज्जर टीपीपी महात्मा गांधी टीपीपी)	सीएलपी पावर इंडिया प्रा. लि.	यू-2	660	11/04/2012
झारखण्ड	महादेव प्रसाद टीपीपी फेज-I	आधुनिक पावर कं. लि.	यू-1	270	19/11/2012
			यू-2	270	29/3/2013
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-1	270	25/3/2013
			यू-2	270	17/2/2014
महाराष्ट्र	बेला टीपीपी-I	आईईपीएल	यू-1	270	20/3/2013
महाराष्ट्र	बुटीबोरी टीपीपी फेज-II	विदर्भ इंस्ट्रूज पावर	यू-1	300	17/8/2012
महाराष्ट्र	धारीवाल इफ्रक्चर टीपीपी	धारीवाल इफ्रक्चर (पी) लि.	यू-1	300	3/11/2013
			यू-2	300	28/5/2014
महाराष्ट्र	एमको वरौरा टीपीपी	एमको एनर्जी लि. (जीएमआर)	यू-1	300	7/2/2013
			यू-2	300	27/8/2013
महाराष्ट्र	जीईपीएल टीपीपी	जीईपीएल	यू-1	60	8/9/2012
			यू-2	60	28/4/2012
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-1	270	25/2/2014
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-I	अदानी पावर लि.	यू-1	660	11/9/2012
			यू-2	660	25/3/2013
महाराष्ट्र	तिरौरा टीपीपी फेज-II	अदानी पावर लि.	यू-1	660	10/6/2013
मध्य प्रदेश	बीना टीपीपी	बीना पावर सप्लाय कं. लि.	यू-1	250	12/8/2012
			यू-2	250	31/3/2013
मध्य प्रदेश	सासन यूएमपीपी	रिलायंस पावर लि.	यू-2	660	18/12/2013
			यू-3	660	30/5/2013
ओडिशा	देरांग टीपीपी	जेआईटीपीएल	यू-1	600	10/5/2014
ओडिशा	कमलंगा टीपीपी	जीएमआर	यू-1	350	28/3/2013
			यू-2	350	28/9/2013
			यू-3	350	21/3/2014
ओडिशा	स्टेरलाइट टीपीपी	स्टेरलाइट एनर्जी लि.	यू-4	600	25/4/2012
पंजाब	राजपुरा टीपीपी ( नाभा)	नाभा पावर लि.	यू-1	700	24/1/2014
			यू-2	70	6/7/2014
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	मैसर्स स्टेरलाइट	यू-1	660	17/6/2014
राजस्थान	जलीपा-कपूर्ती टीपीपी	राज वेस्ट पावर लि. (जेएसडब्ल्यू)	यू-5	135	5/2/2013
			यू-6	135	3/3/2013
	कुल:			18050	

12वीं योजना के दौरान चालू की जाने वाली निजी कंपनियों द्वारा विकसित थर्मल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा							
राज्य	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की वास्तविक समय-सीमा	चालू होने की अनुमानित समय-सीमा	देरी के कारण
आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि.	यू-1	660	अक्टू.-13	मार्च-17	कार्य लम्बे समय तक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के आदेश के कारण रुका रहा। इसके पुनः शुरू होने के पश्चात कार्य दो साइक्लनों के कारण रुका रहा। राज्य के दो भागों में विभाजन के विरुद्ध होने वाले आन्दोलन के कारण रुका रहा।
			यू-2	660	मार्च-14	अक्टू.-17	
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लि.	यू-1	660	मार्च-15	अप्रैल-16	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलम्ब तथा धीमी प्रगति। वित्तीय समस्या के कारण सामग्री की आपूर्ति एवं निर्माण में विलम्ब।
			यू-2	660	जून-15	अग.-16	
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	थर्मल पावरटेक कारपोरेशन लि.	यू-1	660	मई-14	दिसं.-14	टीजी सिविल कार्य शुरू होने में विलम्ब। भूमि मामले के कारण नींव के डिजाइन में परिवर्तन।
			यू-2	660	अग.-14	मार्च-15	
आंध्र प्रदेश	थम्मिनापट्टनम टीपीपी स्टेज -II	मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.	यू-3	350	मई-12	अग.-16	वित्तीय समस्या के कारण सिविल कार्यों की धीमी प्रगति। स्थल पर कार्य लम्बे समय तक बन्द रहा।
			यू-4	350	अग.-12	नव.-16	
आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी	हिन्दुजा नेशनल पावर कारपोरेशन लि.	यू-1	520	जून-13	मार्च-15	स्टार्ट अप विद्युत के लिए पारेषण लाइन की तैयारी में विलम्ब। सिविल कार्यों, समुद्री जल प्रवेश और आऊटफाल प्रणाली, सीएचपी आदि की धीमी प्रगति, रेलवे लाइन की तैयारी में विलम्ब। साइक्लोन के कारण होने वाली क्षति के कारण विलम्ब।
			यू-2	520	सितं.-13	अग.-15	
छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	वर्धा पीसीएल (केएसके)	यू-3	600	दिसं.-12	जुलाई-15	जन शक्ति की कमी, ग्रामीणों द्वारा आन्दोलन,निधियों की कमी के कारण सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब।
छत्तीसगढ़	बरादरा टीपीपी	डी.बी. पावर लि.	यू-2	600	जुलाई-13	मार्च-15	सीएचपी और एएचपी मिलों की तैयारी में विलम्ब। जनरेटर स्टेटर में आ रही समस्या के कारण विलम्ब। केनाबलाइज्ड/मिसिंग सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब।
छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीपी	भारत एल्युमीनियम कं. लि.	यू-1	300	फर.-11	14-15	चिमनी का टूटना। राज्य सरकार द्वारा प्रचालन हेतु सहमति जारी करने में विलम्ब।
			यू-2	300	नव.-10	15-16	
छत्तीसगढ़	बंदाखार टीपीपी	मारुति क्लीन कोल एंड पावर लि.	यू-1	300	दिसं.-12	फर.-15	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलम्ब। वित्तीय समस्याओं के कारण कार्य प्रभावित हुआ। सीएचपीआईए एचपी की तैयारी में विलम्ब और जनरेटर स्टेटर में समस्या।
छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	एसकेएस पावर जेनरेशन लि.	यू-1	300	अग.-13	जून-15	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलम्ब। बॉयलर ड्रम की आपूर्ति में विलम्ब। एसटीजी निर्माण एजेन्सियों के परिवर्तन के कारण बॉयलर और टीजी के लिए निर्माण कार्य को रोकने के कारण विलम्ब।
			यू-2	300	नव.-13	सितं.-15	सिविल कार्यों के शुरू होने में विलम्ब। प्रेशर भाग निर्माण की धीमी प्रगति।
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	एलएपी प्रा. लि.	यू-3	300	फर.-14	13वीं योजना	कार्य अभी शुरू किया जाना है।
			यू-3	660	जन.-13	16-17	जल प्रणाली के लिए भूमि के अधिग्रहण में विलम्ब। वर्तमान में वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
			यू-4	660	मार्च-13	17-18	
छत्तीसगढ़	सिंहीतराई टीपीपी	अलथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	यू-1	600	जून-14	दिसं.-15	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब। बॉयलर और टीजी निर्माण की धीमी प्रगति। वित्तीय समस्याओं के कारण विलम्ब।

छत्तीसगढ़	स्वास्तिक टीपीपी	एसीबी	यू-1	25	जून-12	मार्च-15	बीओपी की तैयारी में विलम्ब। सीएचपी विक्रेताओं के साथ व्यावसायिक विवाद और टीफेक्टरी कार्य और सुपर हीटर कायल में खराबी के कारण विलम्ब, सीएसआईजीसी से सीएसपीटीसीएल तक 132 केवी पूलिंग सब स्टेशन की भूमि के हस्तांतरण के कारण स्टार्ट अप विद्युत प्राप्त करने में विलम्ब।
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	टीआरएन एनर्जी प्रा. लि.	यू-1	300	दिसं.-13	जुलाई-15	सिविल कार्य शुरू होने में विलम्ब। बॉयलर और टीजी के निर्माण कार्यों में धीमी प्रगति। जन शक्ति की कमी।
			यू-2	300	अप्रैल-14	दिसं.-15	
छत्तीसगढ़	उचपिंडा टीपीपी	आरकेएम पावरजेन प्रा. लि.	यू-1	360	मई-12	अप्रैल-15	ग्रामीणों द्वारा किए जा रहे आन्दोलन के कारण कार्य प्रभावित हुआ। स्थल पर कार्य की धीमी प्रगति। बीओपी की तैयारी में विलम्ब। स्टार्ट अप विद्युत की तैयारी में विलम्ब। वित्तीय समस्या के कारण विलम्ब।
			यू-2	360	फर.-13	जून-15	
			यू-3	360	फर.-13	सितं.-15	
छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	वन्दना विद्युत	यू-2	135	सितं.-11	दिसं.-14	यूनिट-1 के चालू होने में विलम्ब। स्थल पर ग्रामीणों द्वारा आन्दोलन। बीटीजी और सीएचपी सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब। चालू किए जाने से संबंधित गतिविधियों में बीटीजी आपूर्तिकर्ता का सहयोग न होना।
झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	कारपोरेट पावर लि.	यू-1	270	मई-12	16-17	कानून एवं न्याय समस्या। बीटीजी उपस्कर की आपूर्ति में विलम्ब। वन स्वीकृति के कारण पारेषण लाइन की तैयारी में विलम्ब। वित्तीय समस्याओं के कारण नवम्बर 12 से कार्य रुका हुआ है।
			यू-2	270	जून-12	16-17	
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-I	इंडिया बुल्स	यू-3	270	जन.-12	फर.-15	बीटीजी सामग्री की गैर क्रमबद्ध आपूर्ति। सिविल फ्रंट की तैयारी में विलम्ब। भेल के साथ भुगतान मुद्दा। इन्सूलेशन आवेदन में विलम्ब। एचएफओ, सीएचपी और एचपी की तैयारी में विलम्ब। बॉयलर निर्माण एजेन्सी के लिए पुनः सौंपा जाना। रेलवे साइडिंग की तैयारी।
			यू-4	270	फर.-12	जून-15	
			यू-5	270	मार्च-12	सितं.-15	
महाराष्ट्र	लेंको विदर्भ टीपीपी	लेंको विदर्भ	यू-1	660	जन.-14	13वीं योजना	वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
			यू-2	660	मई-14	13वीं योजना	
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज -I	इंडिया बुल्स	यू-2	270	अप्रैल-12	जन.-15	रेलवे साइडिंग की तैयारी में विलम्ब। बीटीजी सामग्री की गैर क्रमबद्ध आपूर्ति और सिविल फ्रंट की तैयारी। भेल के साथ भुगतान मुद्दा। मिलों, एचएफओ, सीएचपी व एचपी, डक्किंग इन्सूलेशन आदि की तैयारी।
			यू-3	270	जून-12	जून-16	
			यू-4	270	अग.-12	सितं.-16	
			यू-5	270	अक्टू.-12	मार्च-17	परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बीटीजी सामग्री को स्वीकार न करना। वित्तीय समस्याओं के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
मध्य प्रदेश	अनूपपुर टीपीपी फेज -I	एमबी पावर	यू-1	600	अप्रैल-13	दिसं.-14	सिविल कार्यों के शुरू होने तथा धीमी प्रगति के कारण विलम्ब। डूम की आपूर्ति में विलम्ब। बॉयलर और ईएसपी रीफेक्टरी कार्यों के इन्सूलेशन की तैयारी।
			यू-2	600	अग.-13	जुलाई-15	
मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी	डी.पी. पावर (एमपी) लि.	यू-1	660	जून-13	13वीं योजना	मुख्य संयंत्र उपस्कर के लिए आदेश अब तक दिया नहीं गया है।
मध्य प्रदेश	सिओनी टीपीपी फेज -I	झबुआ पावर लि.	यू-1	600	मार्च-13	अप्रैल-15	सिविल फ्रंट की तैयारी में विलम्ब। चिमनी की तैयारी। वित्तीय समस्या के कारण बॉयलर और टीजी की

							आपूर्ति में विलम्ब।
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	यू-1	350	सितं.-11	मार्च-15	भारी वर्षा के कारण विलम्ब। स्टार्ट अप विद्युत के लिए पारेषण लाइन की तैयारी में विलम्ब।
			यू-2	350	दिसं.-11	जून-15	
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	दिसं.-11	जून-16	चिमनी की स्वीकृति और कानून एवं न्याय समस्या के कारण आरम्भ में विलम्ब हुआ। कार्य को माननीय उडीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण रोक दिया गया था। माननीय उच्च न्यायालय ने कार्य को शुरू करने के लिए दिनांक 20.05.2014 को आदेश दिया है। कार्य को पुनः शुरू करने में विलम्ब।
ओडिशा	लेंको बाबंध टीपीपी	लेंको बाबंध पावर लि.	यू-1	660	अप्रैल-13	17-18	भूमि अधिग्रहण में विलम्ब। वित्तीय समस्या के कारण स्थल पर कोई कार्य नहीं हो रहा है।
पंजाब	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	जीवीके पावर	यू-1	270	अप्रैल-13	जून-15	सीएचपी और एएचपी की तैयारी में विलम्ब। रेलवे लाइन की तैयारी में विलम्ब। वित्तीय समस्या के कारण स्थल पर कार्य में कोई प्रगति नहीं हुई है।
			यू-2	270	अक्टू.-13	सितं.-15	
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	स्टेरलाईट	यू-2	660	जन.-13	मार्च-15	सिविल फ्रंट की तैयारी में विलम्ब। जन शक्ति की कमी के कारण एएचपी, चिमनी, मिल, कूलिंग टावर की तैयारी में विलम्ब। भारी वर्षा के कारण बॉयलर इन्सुलेशन कार्य में विलम्ब हुआ।
			यू-3	660	मई-13	जून-15	
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	आईबीपीआईएल	यू-1	660	मई-12	सितं.-17	सिविल कार्यो को देर से शुरू किया जाना और धीमी प्रगति और स्थल पर बॉयलर ढाँचागत सामग्री की आपूर्ति में विलम्ब।
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	प्रयागराज पावर जेन. कं. लि.	यू-1	660	फर.-14	जून-15	स्टार्ट अप विद्युत के लिए बीटीजी आपूर्ति, कच्चे पानी की पाइपलाइन की तैयारी और पारेषण लाइन की तैयारी में विलम्ब। स्थल पर कार्य की प्रगति में वित्तीय समस्याओं के कारण विलम्ब हुआ।
			यू-2	660	जुलाई-14	दिसं.-15	
			यू-3	660	दिसं.-14	मार्च-16	
पश्चिम बंगाल	हल्दिया टीपीपी-I	हल्दिया एनर्जी लि.	यू-1	300	अग.-14	दिसं.-14	विद्युत निकासी प्रणाली की तैयारी में विलम्ब।
			यू-2	300	नव.-14	मार्च-15	
	कुल निजी क्षेत्र			25480			

निजी क्षेत्र में 12वीं योजना (2012-17) के दौरान लक्षित की गईं और चालू की गईं हाइड्रो परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक)

कॉलम 1	कॉलम 2	कॉलम 3	कॉलम 4	कॉलम 5	कॉलम 6
क्रम सं.	परियोजना/राज्य का नाम संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	कार्यान्वयन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने की तिथि
1	बुधहिल, हिमाचल प्रदेश	लैंको ग्रीन पावर	2	35	26.05.2012
	2x35	प्राइवेट लिमिटेड	1	35	30.05.2012
2	चूजाचैन, सिक्किम	गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	2	49.5	20.04.2013
	2x49.5	लिमिटेड	1	49.5	21.04.2013
	कुल:			169	

निजी क्षेत्र में 12वीं योजना के बचे हुए समय के दौरान लाभ के लिए निर्माणाधीन हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं का ब्यौरा (25 मेगावाट से अधिक)

क्रम सं.	परियोजना का नाम कार्यान्वयन एजेंसी क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का वास्तविक समय	चालू होने का अनुमानित समय	देरी के कारण
	हिमाचल प्रदेश			
1	सोरांग हिमाचल सोरांग पावर कारपोरेशन लि. 2x50= 100 मेगावाट	2012-13	2015-16	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कमजोर भूवैज्ञानिकता</li> <li>➤ कठिन क्षेत्र</li> <li>➤ मौसम संबंधी स्थिति और पहुंच पेनस्टॉक क्रैक/लीकेज</li> </ul>
2	टिडोंग-I मैसर्स एनएसएल टिडोंग पावर जेन. लि. 2x50 = 100 मेगावाट	2013-14	2016-17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ परियोजना द्वारा प्रभावित पंचायतों के अनापति प्रमाणपत्र में विलम्ब, सरकार द्वारा एक वर्ष के लिए कार्यों को स्थगित करना।</li> </ul>
3	टंगनु रोमई-I मैसर्स टंगनु रोमई पावर जेनरेशन 2x22= 44 मेगावाट	2014-15	2016-17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सिविल कार्यों की धीमी प्रगति।</li> <li>➤ कमजोर भूवैज्ञानिकता</li> <li>➤ कठिन क्षेत्र</li> <li>➤ मौसम संबंधी शर्तें एवं पहुंच</li> </ul>
	उत्तराखण्ड			
4	श्रीनगर एचपीसी लि. . 14/06/2000/ एफसी 4x82.5=330	2005-06	2015-16 (2014-15 में सबसे अच्छा प्रयास: 165 मेगावाट)	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वित्तीय बंदी।</li> <li>➤ बांध कार्यों की धीमी प्रगति।</li> <li>➤ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 30.05.2011 से अगस्त 2013 तक कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया था।</li> <li>➤ स्थानीय मुद्दे।</li> <li>➤ जून, 2013 में आकस्मिक बाढ़।</li> <li>➤ जल कण्डक्टर प्रणाली फिलिंग के दौरान विद्युत चैनल में लीकेज।</li> </ul>
5	फाटा ब्यूंग मैसर्स लैंको 06.10.2008 2x38 मेगावाट = 76 मेगावाट	2013-14	2016-17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ जून 2013 में आकस्मिक बाढ़।</li> </ul>
6	सिंगोली भटवारी मैसर्स एल एंड टी 11.07.2008 3x33 मेगावाट = 99 मेगावाट	2015-16	2016-17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ एचआरटी में कमजोर भूवैज्ञानिकता।</li> <li>➤ स्थानीय लोगों द्वारा आन्दोलन।</li> <li>➤ जून 2013 में आकस्मिक बाढ़।</li> </ul>
	मध्य प्रदेश			
7	मुहेश्वर एसएमएचपीसीएल 10x40= 400 मेगावाट	2001-02	2015-17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ पुर्नस्थापन एवं पुनर्वास मामले।</li> <li>➤ विकासकर्ता के साथ नकद प्रवाह समस्या।</li> </ul>
	सिक्किम			
8	तीस्ता-III तीस्ता ऊर्जा लि. (टीयूएल) 6x200=1200 मेगावाट	2011-12	2014-16	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वन स्वीकृति में विलम्ब।</li> <li>➤ सितम्बर 2011 में आने वाले भूकम्प के कारण कार्य प्रभावित हुए।</li> <li>➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय अवरोध।</li> </ul>
9	तीस्ता-VI लैंको 4x125= 500 मेगावाट	2012-13	2016-17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कमजोर भूवैज्ञानिकता।</li> <li>➤ भूमि अधिग्रहण।</li> <li>➤ अनुबंध संबंधी मामले।</li> <li>➤ विकासकर्ता के साथ निधि अवरोध।</li> </ul>
10	रंजित-IV जय पावर कारपोरेशन लि. 3x40= 120 मेगावाट	2012-13	2016-17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कमजोर भूवैज्ञानिकता के कारण एचआरटी और सर्व आफर कार्यों की धीमी प्रगति।</li> <li>➤ सितम्बर 2011 में आनेवाले भूकम्प के कारण कार्य प्रभावित हुए।</li> <li>➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय अवरोध।</li> </ul>
11	जोरथांग लूप मैसर्स डैन्स एनर्जी 2x48= 96 मेगावाट	2012-13	2014-15	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ कमजोर भूवैज्ञानिकता।</li> <li>➤ पारिषण लाइन के लिए वन स्वीकृति।</li> </ul>
12	भास्मे गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर 3x17= 51 मेगावाट	2012-13	2016-17	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ वन स्वीकृति</li> <li>➤ विकासकर्ता के साथ वित्तीय अवरोध।</li> </ul>

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3131

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

निजी विद्युत वितरण कम्पनियों के लिए मानदंड

3131. श्रीमती रमा देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79 के अंतर्गत निजी विद्युत वितरण कम्पनियों/लाइसेंस-धारकों की गुणवत्ता, सेवा-सातत्य और विश्वसनीयता के बारे में मानदंड निर्धारित किए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई चर्चा की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा यह सूचित किया गया है कि उन्होंने विद्युत पारेषण की एक दक्ष, विश्वसनीय, समन्वित एवं किफायती प्रणाली उपलब्ध करवाने के लिए "अन्तराज्यीय पारेषण लाइसेंस विनियम, 2012 के निष्पादन मानक" निर्धारित किए हैं जो कि सभी अन्तराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएमटीएम) लाइसेंसियों पर लागू हैं। इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निष्पादन मानकों के गैर-अनुपालन से प्रभावित पक्ष मुआवजे के हकदार होंगे।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग ने अधिनियम की धारा 178 की उपधारा (2) के खंड (छ) के साथ पठित धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ज) के अंतर्गत मौजूदा प्रावधानों के अनुसरण में भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (आईईजीसी) भी तैयार की है। भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता में अन्य बातों के साथ-साथ सबसे अधिक सुरक्षित, विश्वसनीय, किफायती एवं दक्ष तरीके से विद्युत प्रणाली की आयोजना, विकास, अनुरक्षण एवं प्रचालन के लिए प्रणाली में विभिन्न व्यक्तियों और भागीदारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले नियमों, दिशा-निर्देशों और मानकों की व्यवस्था भी की गई है। भारतीय विद्युत ग्रिड कोड में अन्तराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) से संबंधित अथवा उसका उपयोग करने वाली सभी यूटिलिटियों को शामिल करते हुए तकनीकी नियमों का एक सिंगल सैट बनाया गया है।

(घ) और (ङ) : चूंकि विद्युत अधिनियम, 2003 में उचित परामर्श के पश्चात, उपयुक्त आयोगों द्वारा विनियम निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है इसलिए केंद्र सरकार की इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3148

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

हुदहुद चक्रवात के कारण ताप विद्युत  
परियोजनाओं को नुकसान

3148. डॉ. कंभमपति हरिबाबू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) हाल ही में आए हुदहुद चक्रवात के कारण सिम्हाद्री ताप विद्युत परियोजना, विशाखापत्तनम को हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता दी गई है और नुकसान की भरपाई के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : सिम्हाद्री सुपर ताप विद्युत केंद्र में विभिन्न उपस्करों जैसे स्टेशन ट्रांसफार्मर, लाइटेनिंग एरेस्टोर, पम्प हाउस, सिविल संरचनाएं, ओवरहेड लाइनें और संचार प्रणालियां इत्यादि हुदहुद चक्रवात के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं। दिनांक 12.10.2014 को 10.41 बजे से 16.10.2014 को 11.01 बजे तक केंद्र पूरी तरह से बन्द रहे। क्षति की मरम्मत हेतु लगभग 34 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया था। हुदहुद चक्रवात और इसके कारण विद्युत निकासी प्रणाली में व्यवधान के कारण एनटीपीसी सिम्हाद्री लगभग 373 मिलियन यूनिट उत्पादन नहीं कर पाया।

(ख) : जी नहीं, एनटीपीसी ने इस नुकसान की भरपाई करने के लिए सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मांगी है। पॉलिसी के अनुसार वसूली किए जाने योग्य सीमा तक इंश्योरेंस का दावा दायर किया गया है।

संयंत्र में दिन-रात सुधार का कार्य शुरू किया गया था। स्टेशन की सभी चार यूनिटों को निम्नलिखित क्रम में वापस कार्य में लगाया गया था:

- यूनिट # 2 :16.10.2014 (चक्रवात के 4 दिनों के भीतर)  
यूनिट # 1 :17.10.2014 (चक्रवात के 5 दिनों के भीतर)  
यूनिट # 3 :18.10.2014 (चक्रवात के 6 दिनों के भीतर)  
यूनिट # 4 :25.10.2014 (चक्रवात के 13 दिनों के भीतर)

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3158

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

विद्युत प्रभार

3158. श्रीमती वीणा देवी:

श्री अभिषेक बनर्जी:

श्री पी.आर. सुन्दरम:

श्री एम.बी. राजेश

श्री राजन विचारे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत उत्पादन कंपनियों को ई-नीलामी के द्वारा कोयला ब्लॉक खरीदने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी उत्पादन लागत और विद्युत की विक्रय लागत पर क्या प्रभाव होने की संभावना है;
- (ख) देश के प्रत्येक राज्य में उपभोक्ताओं के लिए विद्युत की न्यूनतम और अधिकतम मौजूदा विक्रय लागत कितनी है और इसका विद्युत के प्रति व्यक्ति उपभोग पर क्या प्रभाव है;
- (ग) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से निजी और सरकारी विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा विद्युत प्रभार और इसकी आपूर्ति के मामले को हल करने हेतु प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और
- (घ) सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को किफायती दर पर विद्युत आपूर्ति करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : भारत सरकार ने, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निरस्त किए गए कोयला ब्लॉकों को ई-नीलामी के माध्यम से बोलीकर्ताओं को पुनः आबंटित करने के लिए अथवा सरकारी कंपनियों को आबंटित करने के लिए, जैसा भी मामला हो, एक अध्यादेश प्रख्यापित किया है।

(ख) : उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए विद्युत के औसत न्यूनतम एवं अधिकतम बिक्री मूल्य को राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध अधिसूचित प्रशुल्क राज्य विद्युत विनियामक आयोगों द्वारा जारी प्रशुल्क आदेशों से आकलित किया जाता है और यह उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के अनुमानित भार (मेगावाट) एवं खपत (केडब्ल्यूएच) पर आधारित होता है। इन औसत बिक्री मूल्यों में राज्यों द्वारा प्रभारित विद्युत शुल्क भी शामिल होते हैं। उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए राज्यवार औसत न्यूनतम एवं अधिकतम विद्युत बिक्री मूल्य अनुबंध में दिए गए हैं।

(ग) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिनियमन के पश्चात, विभिन्न राज्यों के विद्युत प्रशुल्क के समाधान के मुद्दे को संबंधित विनियामकों द्वारा निपटाया जाता है।

(घ) : उपभोक्ताओं को युक्तिसंगत दर पर विद्युत प्रदान किए जाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं:

- (i) प्रति यूनिट उत्पादन के लिए अपेक्षित ईंधन की लागत कम करने के उद्देश्य से ताप विद्युत उत्पादन में और अधिक दक्ष सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी के प्रयोग को बढ़ावा देना।
- (ii) कोयला-प्रज्वलित केंद्रों के लिए ईंधन की लागत को कम करने के उद्देश्य से अन्य बातों के साथ-साथ, ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए केप्टिव कोयला खनन को प्रोत्साहित करना।
- (iii) प्रचालनात्मक दक्षता में सुधार लाने के लिए पुराने/अकुशल ताप एवं जल विद्युत केंद्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण।
- (iv) 06.01.2006 को अधिसूचित प्रशुल्क नीति में प्रतिस्पर्धात्मक रूप से वितरण लाइसेंसी द्वारा विद्युत की खरीद किए जाने का अधिदेश है।
- (v) बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ लेने के लिए प्रशुल्क आधारित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से 4000 मेगावाट (प्रत्येक) की क्षमता वाली अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं (यूएमपीपी) की स्थापना करने की पहल।
- (vi) विद्युत की खरीद के लिए प्रशुल्क आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से प्रतिस्पर्धात्मक प्रशुल्क निकाले गए हैं।

2001 की जनगणना के अनुसार, 30,000 से अधिक की जनसंख्या वाले नगरों में समय तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानियों को कम करके 15% से नीचे तक लाने के लिए सरकार द्वारा पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) शुरू किया गया।

\*\*\*\*\*

लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ विद्युत टैरिफ संबंधी अतारांकित प्रश्न संख्या 3158 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

राज्य-वार विद्युत के औसत न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य (आंकड़े पैसे/यूनिट में)

क्रम सं.	यूटिलिटी का नाम	से प्रभाव में टैरिफ	घरेलू टैरिफ		व्यावसायिक टैरिफ		कृषि टैरिफ		लघु उद्योग टैरिफ		मध्यम उद्योग टैरिफ		वृहत उद्योग टैरिफ	
			न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम	न्यूनतम	अधिकतम
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	01.04.2013	200.00	465.00	577.00	717.00	125.00	125.00	463.00	488.00	496.00	498.00		
2	आंध्र प्रदेश	01.04.2013	239.00	730.00	828.00	946.00	8.00	352.00	665.00	661.00	650.00	702.00	693.00	735.00
3	अरुणाचल प्रदेश	01.04.2013	400.00	400.00	500.00	500.00	310.00	310.00	420.00	420.00	420.00	420.00	375.00	375.00
4	असम	01.12.2013	398.00	615.00	698.00	700.00	396.00	528.00	462.00	452.00	603.00	623.00	561.00	597.00
5	बिहार यू	01.04.2013	360.00	540.00	629.00	605.00	174.00	174.00	648.00	648.00	706.00	816.00	677.00	713.00
	आर		228.00	228.00	286.00		114.00	114.00						
6	चण्डीगढ़	01.04.2013	239.00	413.00	498.00	526.00	230.00	230.00	455.00	455.00	506.00	508.00	482.00	591.00
7	छत्तीसगढ़	01.08.2013	225.00	566.00	526.00	653.00	143.00	143.00	380.00	380.00	483.00	672.00	545.00	601.00
8	दादर एवं नागर हवेली	01.04.2013	140.00	225.00	275.00	299.00	65.00	65.00	300.00	318.00	318.00	431.00	407.00	441.00
9	दमन एवं दीव	01.04.2013	150.00	230.00	332.00	364.00	70.00	70.00	370.00	402.00	402.00	551.00	520.00	579.00
10	दिल्ली (बीवाईपीएल/बीआरपीएल/एनडीपीएल)	01.08.2013	452.00	657.00	900.00	976.00	297.00	297.00	854.00	887.00	887.00	887.00	803.00	820.00
11	दिल्ली (एनडीएमसी)	01.08.2013	362.00	527.00	754.00	957.00			697.00	697.00	697.00	697.00	838.00	856.00
12	गोवा	01.04.2013	156.00	273.00	423.00	475.00	140.00	140.00	320.00	320.00	370.00	370.00	444.00	457.00
13	गुजरात यू	01.04.2013	405.00	568.00			190.00	190.00	568.00	568.00	573.00	603.00	524.00	673.00
	आर		336.00	496.00	569.00	640.00								
14	टोरेट पावर लिमिटेड (अहमदाबाद)	01.04.2013	417.00	507.00	544.00	635.00	330.00	330.00	479.00	490.00	559.00	607.00	514.00	543.00
15	टोरेट पावर लिमिटेड (सुरत)	01.04.2013	403.00	519.00	538.00	643.00	70.00	70.00	473.00	506.00	565.00	606.00	535.00	588.00
16	हरियाणा	01.04.2013	419.00	613.00	600.00	715.00	25.00	25.00	600.00	600.00	583.00	625.00	466.00	526.00
17	हिमाचल प्रदेश	01.04.2013	175.00	361.00	592.00	656.00	124.00	124.00	517.00	525.00	644.00	646.00	655.00	758.00
18	जम्मू व कश्मीर	01.04.2013	186.00	350.00	402.00	632.00	82.00	82.00	404.00	404.00	404.00	404.00	427.00	449.00
19	झारखण्ड यू	01.08.2012	300.00	313.00	667.00				611.00	611.00	611.00	729.00	495.00	608.00
	आर		185.00	273.00	200.00	671.00	62.00	62.00						
20	कर्नाटक यू	01.05.2013	381.00	619.00	800.00	817.00			535.00	583.00	675.00	678.00	619.00	681.00

	आर		345.00	560.00	740.00	757.00	0.00	0.00	504.00	554.00	642.00	647.00	616.00	666.00
21	केरल	01.05.2013	280.00	790.00	832.00	1081.00	167.00	167.00	557.00	557.00	557.00	557.00	546.00	584.00
22	लक्षद्वीप	01.04.2013	123.00	357.00	517.00	597.00			472.00	472.00	472.00	472.00	625.00	638.00
23	मध्य प्रदेश यू	01.04.2013	466.00	722.00	749.00	755.00			539.00	539.00	742.00	816.00	670.00	751.00
	आर		439.00	698.00	730.00	736.00	335.00	368.00	480.00	480.00	662.00	751.00	825.00	851.00
24	महाराष्ट्र	01.08.2012	432.00	880.00	865.00	1160.00	220.00	220.00	569.00	587.00	877.00	877.00	751.00	777.00
25	मुंबई (बी.ई.एस.टी.)	01.09.2013	406.00	934.00	1060.00	1437.00			962.00	1035.00	1165.00	1165.00	1004.00	1031.00
26	मुंबई (रिलायंस एनर्जी)	01.09.2013	513.00	1127.00	1123.00	1530.00	220.00	220.00	1029.00	1053.00	1147.00	1147.00	1072.00	1100.00
27	मुंबई (टाटा)	01.07.2013	306.00	728.00	938.00	1036.00			746.00	770.00	990.00	990.00	851.00	879.00
28	मणिपुर	01.09.2012	302.00	422.00	442.00	490.00	275.00	275.00	292.00	292.00	406.00	406.00	408.00	420.00
29	मिजोरम	01.08.2012	235.00	415.00	478.00	478.00	127.00	127.00	383.00	383.00	335.00	383.00	351.00	362.00
30	मेघालय	01.04.2013	300.00	396.00	529.00	542.00	186.00	186.00	468.00	468.00	468.00	468.00	488.00	505.00
31	नागालैंड	01.04.2013	384.00	522.00	620.00	716.00	250.00	250.00	413.00	444.00	475.00	498.00	517.00	520.00
32	ओडिशा	01.04.2013	328.00	515.00	607.00	713.00	112.00	112.00	562.00	562.00	572.00	572.00	607.00	638.00
33	पुडुचेरी	01.04.2013	120.00	301.00	465.00	537.00			438.00	444.00	448.00	449.00	487.00	
34	पंजाब	01.04.2013	573.00	755.00	878.00	883.00	480.00	480.00	764.00	764.00	860.00	860.00	767.00	794.00
35	राजस्थान	07.06.2013	583.00	587.00	730.00	775.00	405.00	405.00	595.00	595.00	644.00	644.00	651.00	668.00
36	सिक्किम	01.04.2013	168.00	398.00	469.00	537.00	235.00	436.00	503.00	573.00	418.00	505.00	458.00	591.00
37	तमिलनाडु	21.06.2013	160.00	523.00	709.00	734.00	0.00	0.00	405.00	579.00	578.00	578.00	657.00	708.00
38	त्रिपुरा	01.04.2013	486.00	730.00	650.00	725.00	341.00	442.00	690.00	720.00	720.00	740.00		
39	उत्तराखण्ड	01.05.2013	286.00	352.00	493.00	570.00	125.00	125.00	462.00	462.00	487.00	549.00	505.00	522.00
40	उत्तर प्रदेश यू	10.06.2013	480.00	545.00	738.00	786.00	435.00	435.00	755.00	755.00	755.00	895.00	761.00	800.00
	आर		275.00	275.00	298.00	298.00	123.00	123.00	643.00	643.00	643.00	762.00	648.00	681.00
41	पश्चिम बंगाल यू	01.04.2013	541.00	838.00	785.00	939.00			648.00	739.00	812.00	820.00	837.00	884.00
	आर		528.00	833.00	783.00	939.00	392.00	392.00	634.00	723.00	791.00	799.00		
42	सीईएससी लि. (कोलकाता)	01.04.2013	495.00	818.00	738.00	923.00			615.00	681.00	761.00	773.00	740.00	791.00
43	डीपीएससी लि. (पश्चिम बंगाल)	01.04.2013	417.00	459.00	489.00	601.00	188.00	188.00	507.00	531.00	556.00	556.00	669.00	713.00

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3171

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

नेपाल के साथ विद्युत बंटवारा

3171. श्री धनंजय महाडीक:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री राजीव सातव:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के द्वारा वर्तमान में 120-140 मेगावॉट की निर्यात की जा रही विद्युत के अतिरिक्त नेपाल को 150 मेगावाट विद्युत देने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देश नेपाल में जल विद्युत परियोजना की स्थापना करने पर सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर खर्च हुई कुल राशि कितनी है;

(ङ) क्या दोनों देशों के मध्य परियोजना की लागत बांटने और उक्त परियोजना के एक बार उत्पादन प्रारंभ होने के बाद विद्युत बंटवारे के लिए भी कोई प्रविधियां आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा दोनों देशों के बीच विद्युत क्षेत्र के सहयोग के और अधिक समेकन हेतु क्या अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। भारत सरकार नेपाल को अपने वर्तमान स्तर से बिजली के निर्यात को बढ़ाने के लिए सहमत हो गई है। भारत सरकार ने वर्तमान आपूर्ति के अतिरिक्त नवंबर, 2014 में नेपाल में सार्क सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए नेपाल को 70 मेगावाट की विद्युत आपूर्ति के लिए सहमति दी थी।

(ग) से (ङ) : महाकाली नदी पर पंचेश्वर बहुद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत और नेपाल द्वारा अब संयुक्त रूप से पंचेश्वर विकास प्राधिकरण (पीडीए) का गठन किया गया है। इस प्राधिकरण के विचारार्थ विषय में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना शामिल है जो दोनों देशों को स्वीकार्य होनी चाहिए और जिसमें लागत एवं लाभ सहित सभी मुद्दों का समाधान होना चाहिए। इसके अलावा, नवंबर, 2014 में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम मैसर्स एसजेवीएन लिमिटेड और इंवेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल के बीच 900 मेगावाट अरुण III जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना विकास करार (पीडीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे।

(च) : "इलेक्ट्रिक पावर ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ग्रिड कनेक्टिविटी" पर एक करार पर दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 को हस्ताक्षर किए गए। इसके अलावा, भारत सरकार ने नेपाल सरकार को 2007 और 2011 में क्रमशः 100 मिलियन अमरीकी डॉलर और 250 मिलियन अमरीकी डॉलर की दो लाइन ऑफ क्रेडिट (एलओसी) को दी है, जिसका एक भाग जल विद्युत के विकास के लिए उपयोग किया जा रहा है। हाल ही में, नवंबर, 2014 में, भारत सरकार ने नेपाल सरकार को 1 बिलियन अमरीकी डॉलर की एक अन्य एलओसी को अनुमोदन प्रदान किया है, जिसका भाग जल विद्युत विकास के लिए भी उपयोग किया जाना है।

\*\*\*\*\*



भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3200

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

एनटीपीसी के लाभ में कमी

3200. श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) के लाभ में काफी कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) एनटीपीसी के कार्यकरण और लाभ में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं।

(ख) और (ग) : उपर्युक्त (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3201

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

हाई टेंशन तारों के कारण हुई दुर्घटनाएं

3201. श्री पी.पी. चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजमार्गों पर हाई टेंशन तारों के गिरने से हुई दुर्घटनाओं की राज्य-वार संख्या और मारे गए लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजमार्गों के ऊपर से गुजरने वाली उक्त तारों हेतु बनाए गए मानदंडों में संशोधन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक संशोधित और कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और किसी राज्य में विद्युत का वितरण संबंधित राज्य सरकार/विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाई टेंशन तारें, जिनमें 650 वोल्ट (वी) और 33000 वी. के बीच वोल्टेज स्तर होता है, संबंधित राज्य सरकारों, जो सुरक्षा विनियमों को लागू करती हैं, के अधीन वितरण कंपनियों की हैं। तदनुसार, राज्य यूटिलिटियों की स्वामित्ववाली हाई टेंशन (एचटी) लाइनों में वैद्युत दुर्घटनाओं को संबंधित राज्य सरकार के वैद्युत निरीक्षणालय को सूचित किया जाता है। 2012-13 तक तीन वर्षों के लिए केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा राज्यों से प्राप्त हाई टेंशन (एचटी) तारों सहित वैद्युत दुर्घटनाओं का ब्यौरा अनुबंध में है।

(ख) : जी, नहीं।

(ग) : प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

**अनुबंध**

लोक सभा में दिनांक 11.12.2014 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3201 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण में राज्य-वार अखिल भारतीय विद्युत दुर्घटनाएं (लोगों के लिए जानलेवा घटनाएं)

राज्य/यूटी/एजेंसी	लोगों के लिए जानलेवा घटनाएं		
	2010-11	2011-12	2012-13
आंध्र प्रदेश	635	722	880
असम	2	75	14
बिहार	0	77	77
गोवा	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
गुजरात	207	89	177
हरियाणा	127	उपलब्ध नहीं	144
हिमाचल प्रदेश	11	17	20
जम्मू व कश्मीर	28	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कर्नाटक	307	110	175
केरल	85	215	161
मध्य प्रदेश	383	304	369
महाराष्ट्र	433	0	0
मणिपुर	12	उपलब्ध नहीं	5
मेघालय	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
नागालैंड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
ओडिशा	उपलब्ध नहीं	98	54
पंजाब	112	115	143
राजस्थान	351	240	504
सिक्किम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
तमिलनाडु	533	535	483
त्रिपुरा	0	11	11
उत्तर प्रदेश	3	136	136
पश्चिम बंगाल	122	117	17
अरुणाचल प्रदेश	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
दिल्ली	45	14	9
मिजोरम	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	9
छत्तीसगढ़	0	171	192
उत्तराखण्ड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
झारखण्ड	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
खदानें	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
केंद्रीय सरकार द्वीपसमूह	6	9	12
रेलवे	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
संघ राज्य क्षेत्र			
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
चण्डीगढ़	3	1	1
दादर एवं नागर हवेली	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
दमन एवं दीव	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
लक्षद्वीप	0	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पुडुचेरी	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
कुल (अखिल भारत)	3392	3056	3435

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3214

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

कोयला भंडारों की समाप्ति और विद्युत संकट

3214. श्री थोटा नरसिम्हमः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राज्य के स्वामित्व वाले राष्ट्रीय ताप संयंत्र निगम के साथ-साथ अनेक प्रमुख विद्युत संयंत्रों में कोयले के भंडार समाप्त हो चुके हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश के अनेक भाग गंभीर विद्युत समस्या का सामना कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : 04.12.2014 की स्थिति के अनुसार, 28 ताप विद्युत संयंत्रों में 4 दिन से कम का कोयला भंडार बचा है। अप्रैल-अक्टूबर, 2014 के दौरान, कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में 10.5% की वृद्धि हुई थी। तथापि, कमजोर मानसून के कारण जल विद्युत संयंत्रों से एकदम कम विद्युत उत्पादन के कारण, विद्युत की मांग को कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से बढ़े हुए उत्पादन के माध्यम से पूरा किया गया था। कोयला आधारित उत्पादन में विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 15.38% की वृद्धि हुई थी। इससे कोयला के भंडार में कमी आई।

(ग) और (घ) : विद्युत की कमी, विद्युत की मांग एवं आपूर्ति पर निर्भर करते हुए राज्य-दर-राज्य में भिन्न-भिन्न होती है। जैसा कि राज्यों द्वारा सूचित किया गया है, चालू वर्ष (अप्रैल, 2014 से अक्टूबर, 2014) तक के दौरान देश में ऊर्जा एवं व्यस्ततमकालीन कमी क्रमशः 4.1% एवं 4.7% है।

भावी विद्युत मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) वर्ष 2016-17 तक 1,18,537 मेगावाट (88,537 मेगावाट पारंपरिक और 30,000 मेगावाट नवीकरणीय सहित) की क्षमता अभिवृद्धि। इसमें से 30.11.2014 तक पारंपरिक स्रोतों से लगभग 48,390 मेगावाट और 31.10.2014 तक नवीकरणीय स्रोतों से लगभग 8297 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि प्राप्त कर ली गई है।
- (ii) 2016-17 तक 1,07,440 सीकेएम पारेषण लाइनों का निर्माण तथा 2,82,740 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता की स्थापना। इसमें से अक्टूबर, 2014 तक 45,570 सीकेएम पारेषण लाइनों तथा 1,56,354 एमवीए ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता प्राप्त की जा चुकी है।
- (iii) भारत सरकार ने राज्यों के साथ साझेदारी में चौबीस घंटे सातों दिन सभी के लिए विद्युत (पीएफए) उपलब्ध कराने के लिए कार्ययोजना तैयार करने की पहल की है।
- (iv) पर्याप्त एवं विश्वसनीय आपूर्ति करने तथा लाइनों की हानि कम करने के लिए उप-पारेषण तथा वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ करने और कृषि से संबंधित फीडरों को अलग करने के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम नामक दो नई स्कीमों अनुमोदित की हैं।
- (v) मौजूदा विद्युत स्टेशनों के संयंत्र भार घटक में सुधार लाने के लिए संबंधित राज्य और केंद्रीय विद्युत यूटिलिटीयों द्वारा कुल 29,367 मेगावाट के पुराने विद्युत संयंत्रों के नवीकरण एवं आधुनिकीकरण (आरएंडएम) और जीवन विस्तार/उन्नयन की योजना बनाई गई है।
- (vi) ताप संयंत्रों द्वारा बढ़े हुए उत्पादन के लिए स्वदेशी कोयले की उपलब्धता के अंतर को कोयले के उत्पादन में वृद्धि करके तथा कोयले के आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
- (vii) ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा दक्षता तथा मांग पक्ष प्रबंधन उपायों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- (viii) राज्य वितरण यूटिलिटीयों (डिस्कॉम्स) की वित्तीय व्यवहार्यता को सहायता देने के लिए केंद्र सरकार ने एक वित्तीय पुनर्गठन योजना (एफआरपी) अधिसूचित की थी।
- (ix) उत्पादन और पारेषण परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने को सुकर बनाने हेतु पर्यावरण तथा वन स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों का शीघ्रता से समाधान।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3215

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्रों हेतु वित्तीय सहायता

3215. श्री दुष्यंत चौटाला:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में बंद पड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्रों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष से गैस आधारित स्टेशनों का परिचालन करने वाली फर्मों को राजसहायता प्रदान करने के लिए भी योजना बनाई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या ऐसा करने से इन विद्युत इकाइयों को पुनर्जीवित किए जाने की संभावना है जो तरलीकृत प्राकृतिक गैस की कमी के कारण बंद हो गए हैं; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस हद तक पुनर्जीवित किया जा सकेगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को विशेष राहत प्रदान करना गैस की बढ़ी हुई उपलब्धता पर निर्भर करती है। सरकार ऐसे बंद पड़े गैस आधारित विद्युत संयंत्रों को राहत उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विकल्पों की तलाश रही है। तथापि, कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) और (ङ) : उपर्युक्त (ग) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3216

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत गांवों के  
विद्युतीकरण हेतु मानदंड

3216. श्री अनुराग सिंह ठाकुर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) के अन्तर्गत एक गांव को विद्युतीकृत गांव के रूप में माने जाने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और एक गांव में विद्युतीकरण हेतु निर्धारित किए गए घरों की सीमा/प्रतिशत कितना है; और

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त सीमा को हटाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : किसी गांव को विद्युतीकृत गाँव के रूप में तभी माना जाता है, जब (i). जब किसी बसे हुए स्थान के साथ-साथ दलित बस्ती/वास स्थल, जहाँ वह स्थित हैं, में वितरण ट्रांसफॉर्मर और वितरण लाइनों जैसी आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध करवा दी गई हो। (गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युतीकरण के लिए वितरण ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता नहीं हो सकती है), (ii). स्कूलों, पंचायत कार्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, औषधालयों, सामुदायिक केंद्रों आदि जैसे सार्वजनिक केंद्रों को बिजली उपलब्ध करवा दी गई हो, और (iii). विद्युतीकृत किए गए घरों की संख्या गांव में घरों की कुल संख्या की कम से कम 10% होनी चाहिए।

(ख) : दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना और एकीकृत विद्युत विकास योजना नई स्कीमों का लक्ष्य डिस्कॉमों और राज्य सरकारों के सहयोग से सभी घरों को बिजली उपलब्ध करवाना है।

\*\*\*\*\*

भारत सरकार  
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3220

जिसका उत्तर 11 दिसंबर, 2014 को दिया जाना है।

जल विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन  
क्षमता

3220. श्री सदाशिव लोखंडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में पहचान की गई जल विद्युत उत्पादन क्षमता की मात्रा तथा आज की तारीख के अनुसार कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया गया है;
- (ख) क्या सरकार का विचार सभी क्षेत्रों में विद्युत की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए जल विद्युत नीति बनाने का है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (घ) देश में विद्युत उत्पादन क्षमता में कृषि के लिए वर्तमान योजना हेतु कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा 1978-87 के दौरान किए गए जल विद्युत संभाव्यता के पुनः आकलन अध्ययन के अनुसार संस्थापित क्षमता (आईसी) के संबंध में जल विद्युत संभाव्यता 1,48,701 मेगावाट आंकी गई है, इसमें से 1,45,320 मेगावाट की संभाव्यता ऐसी जल विद्युत योजनाओं की है, जिनकी आईसी 25 मेगावाट से अधिक की है। इसके अतिरिक्त 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार 4785.6 मेगावाट की कुल क्षमता वाली पंपड स्टोरेज परियोजनाएं भी प्रचालनाधीन हैं।

(ख) और (ग) : भारत सरकार द्वारा 31.03.2008 को जल विद्युत नीति, 2008 अधिसूचित की गई है। इस नीति की प्रमुख विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ 100 मेगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं हेतु लागत आधिक्य प्रशुल्क क्षेत्र, कार्य-स्थलों को अवार्ड करने के लिए पारदर्शी चयन मानदंड, विकासकर्ता को अतिरिक्त लागत की वसूली करने के लिए बिक्री योग्य ऊर्जा के अधिकतम 40% तक को मर्चेंट सेल के माध्यम से करने के लिए सक्षम बनाना, मेजबान राज्य सरकार को 12% निःशुल्क विद्युत के अतिरिक्त स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के लिए परियोजना से 1% विद्युत की शुरुआत जैसे प्रावधान शामिल हैं।

(घ) : इसके अतिरिक्त 1080 मेगावाट की 2 पीएसपी स्कीमें, 13,206.7 मेगावाट की कुल क्षमता वाली 47 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक की क्षमता वाली) निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत लगभग 1,04,336.82 करोड़ रुपए है।

\*\*\*\*\*